विषय-सूची

	पृष्ठ सं
प्राक्कथन	
सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के संबंध में पृष्ठभूमि नोट	**1-4**
• रंगराजन आयोग की सिफारिशें	1-2
• नए कानून की आवश्यकता	2
• अधिसूचना	2
• सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की प्रमुख विशेषताएं	2-4
सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008	**5-13**
• **अध्याय I - प्रारंभिक**	**5-6**
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	5
2. परिभाषाएं	5-6
• **अध्याय II - सांख्यिकी का संग्रहण**	**6-8**
3. सांख्यिकी का संग्रहण	6-7
4. समुचित सरकार की सांख्यिकी अधिकारियों आदि को नियुक्त करने की शक्तियाँ	7
5. सूचना मांगने की सांख्यिकी अधिकारी की शक्ति	7
6. सूचनादाता के कर्त्तव्य	7
7. सहायता के लिए सभी अभिकरण	7
8. अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार	8
• **अध्याय III -कतिपय दशाओं में सूचना का प्रकटन और उनके उपयोग पर निर्बन्धन**	**8-9**
9. सूचना की सुरक्षा	8
10. कतिपय सूचना का प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत समुचित सरकार	8
11. सद्भावपूर्वक अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सूचना अनुसूचियों का प्रकटन	9
12. एतिहासिक दस्तावेजों का प्रकटन	9
13. अभिलिखित सूचना की सुरक्षा	9
14. सूचना के उपयोग पर निर्बन्धन	9
• **अध्याय IV - अपराध और शास्तियां**	**10-12**
15. विशिष्टियां प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति	10
16. मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति	10
17. सूचना अनुसूची को विकृत करने या प्रतिरूपण के लिए शास्ति	10
18. कर्मचारियों को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति	10
19. अन्य अपराधों के लिए शास्ति	10
20. कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों और कृत्यों को किए जाने में असफल रहने के लिए शास्ति	10-11
21. कर्मचारी के प्रतिरूपण के लिए शास्ति	11
22. साधारण शास्ति	11
23. कम्पनी द्वारा अपराध	11
24. अपराधों का संज्ञान	11
25. अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी	12
26. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति	12
• **अध्याय V - मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति**	**12**
27. मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति	12
• **अध्याय VI - प्रकीर्ण**	**12-13**
28. निदेश देने की शक्ति	12
29. लोक सेवक	12
30. अधिकारिता का वर्जन	12
31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	12
32. अध्यारोही प्रभाव	12
33. नियम बनाने की शक्ति	13
34. निरसन और व्यावृत्ति	13
सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011	**14-24**
• **सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 की संरचना**	
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	14
2. परिभाषाएं	14
3. नोडल अधिकारी	14-15
4. नोडल अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य	15-16
5. आंकड़ों के संग्रहण पर निदेश	16-17
6. सूचना अनुसूचियां विहित करने के सिद्धांत	17-18
7. सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति	18
8. सांख्यिकी अधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण	18
9. सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां और कृत्य	18-19
10. आंकड़ों के संग्रहण में सहायता	19-20

11. सूचना देने का कर्तव्य 20
12. आउटसोर्सिंग के लिए सामान्य नियम, शर्तें एवं रक्षोपाय 20-21
13. व्यक्तिगत सूचना के प्रयोग पर निर्बन्धन 21-22
14. सूचनादाता के किसी भी परिसर में प्रवेश का अधिकार 22
15. शिकायतों का प्रसंस्करण 22-23
16. डाटा और अभिलेखों का भंडारण 23-24
17. प्ररूप I और प्ररूप II

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 (शुद्धि-पत्र) 25

अधिसूचना 26

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 27-47

1. अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है? 27
2. वे संवैधानिक प्रावधान क्या हैं जिनके अंतर्गत अधिनियमन किया गया है? 27
3. इस अधिनियम के संदर्भ में जारी अधिसूचनाएं कौन सी हैं? 27
4. इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? 27
5. "सांख्यिकी" से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार की सांख्यिकी संग्रहीत की जा सकेगी? 28
6. आंकड़ा संग्रहण के विषय का निर्धारण कौन करेगा? 28
7. किसी भी प्रकार की सांख्यिकी का संग्रहण करने के सरकार के निर्णय के बारे में जनता को कैसे पता चलेगा? 28
8. क्या आंकड़ा संग्रहण के विषय के चयन के बारे में कोई प्रतिबंध है? 29
9. आंकड़ा संग्रहण विषय के चयन के बारे में तथा अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए नियमों में क्या प्रावधान उपलब्ध है? 29
10. नोडल अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य क्या हैं? 30
11. अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के प्रयोजन से सांख्यिकी संग्रहण संबंधी निदेश जारी करने से पूर्व समुचित सरकार द्वारा क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? 30
12. आंकड़े कौन संग्रहीत करेगा? 31
13. सांख्यिकी अधिकारी को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में कौन-कौन से विवरण उपलब्ध होने चाहिए ? 31
14. आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाते हैं ? 31
15. आंकड़े किससे एकत्रित किए जाते हैं ? 32
16. सूचनादाताओं से क्या आशा की जाती है ? 32
17. आंकड़ा संग्रहकर्ताओं से क्या आशा की जाती है ? 32
18. सूचनादाता के अहाते में प्रवेश करने के अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा ? 33
19. सांख्यिकी अधिकारी तथा आंकड़ा संग्रहण से जुड़ी एजेंसी के बीच क्या संबंध होता है ? 33
20. उपयुक्त सरकार की शक्तियां तथा कार्य क्या है ? 33
21. सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां तथा कार्य क्या है ? 34
22. कोई उपयुक्त सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अधिनियम के तहत आंकड़ों के संग्रहण के लिए अन्य सरकारी कार्यालयों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा कर सकता है ? 36
23. संगृहीत सूचना का प्रसारण किस प्रकार किया जाएगा ? 36
24. यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि व्यक्तिगत सूचना को गोपनीय और सुरक्षित रखा जाए ? 37
25. किसी अदालती सुनवाई में साक्ष्य के रूप में वैयक्तिक सूचना के प्रयोग पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं ? 37
26. वे कौन से अपराध हैं जिनके लिए किसी सूचनादाता को दण्डित किया जा सकता है तथा इनके लिए क्या-क्या दंड हैं ? 37
27. वे कौन से अपराध हैं जिनके लिए किसी आंकड़ा-संग्रहकर्ता को दण्डित किया जा सकता है तथा दण्ड क्या है ? 39
28. वे कौन-से अपराध हैं जिसके लिए किसी व्यक्ति (डाटा संग्रहकर्त्ता अथवा सूचनादाता नहीं हो सकते) को सजा दी जा सकती है और उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है ? 39
29. अपराधों की सुनवाई कौन करेगा और कैसे ? 40
30. अभियोजन चलाने की स्वीकृति लेने के पहले क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? 41
31. अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अदालतों की क्या-क्या शक्तियां हैं ? 41
32. "कोर सांख्यिकी" क्या है ? "कोर सांख्यिकी" के लिए अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान बनाए गए हैं ? 41
33. अधिनियम में शामिल कुछ प्रावधान अन्य किसी संविधियों में भी पाए जा सकते हैं ? उसके क्या प्रभाव होंगे ? 42
34. कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह अधिनियम नागरिकों को सूचना उपलब्ध करने के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम, को निरस्त करता है? 42
35. कृपया स्पष्ट करें कि क्या अधिनियम के अंतर्गत अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन दण्डनीय होंगे, यदि ऐसे अपराध आईपीसी में पाए जाते हैं 42
36. अधिनियम में उपलब्ध अधीनस्थ विधान की क्या प्रकृति है ? 43
37. सूचना अनुसूचियों के निर्धारण के सिद्धांत क्या हैं ? 43
38. सांख्यिकी संग्रहण की आउटसोर्सिंग के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले नियम व शर्तें तथा अन्य सुरक्षा उपाय क्या हैं? 44
39. प्रलेखन के लिए किन उपायों की व्यवस्था की गई है? 45
40. संसद को समय-समय पर बनाए गए नियमों के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा? 46
41. सांख्यिकी संग्रहण, 1953 के अंतर्गत शुरू किए गए अथवा शुरू किए जाने वाले संभावित अभियोजनों, यदि कोई हो, का क्या होगा? 46
42. अनेक सरकारी विभाग गैर सांविधित आधार पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण चलाते रहे हैं । क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अपने सर्वेक्षणों को चलाने के लिए उनके द्वारा यह आवश्यक है तथा यदि ऐसा है तो इसके क्या लाभ हैं? 46
43. प्रशासनिक सांख्यिकी की सांख्यिकी संबंधी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? 47
44. किस तरीके से अनावश्यक पुनावृत्ति से बचा जा सकता है? 47

प्रकाशन से संबद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी 48

श्रीकान्त कुमार जेना
Srikant Kumar Jena

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन,
राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक
भारत सरकार, नई दिल्ली–110001
Minister of State (Independent Charge) for Statistics & Programme Implementation;
Minister of State for Chemicals & Fertilizers
Government of India, New Delhi - 110001

प्राक्कथन

विकास नियोजन तथा नीति की कारगरता न केवल आंकड़ों की उपलब्धता बल्कि एकत्र किए गए बुनियादी आंकड़ों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है । सरकार की सामाजार्थिक नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों की समुचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता होती है, ताकि नीति निर्माण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के अलावा बुनियादी सेवाओं की कारगर प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके, ये दोनों ही अच्छे प्रशासन की अनिवार्यताएं हैं ।

भारत उन अग्रणी देशों में से एक है, जो तेजी से विकास की ओर अग्रसर हैं और उसने आज दुनिया में अपना प्रमुख स्थान बना लिया है । देश को, बेहतर नीतियों के निर्माण, संसाधनों के प्रबंधन और नीतियों तथा निवेश के प्रभाव पर नजर रखने तथा इनका आकलन करने में मदद के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा प्रसारण मानकों के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक स्तर पर विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता है । आर्थिक नीतियों के उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के इस युग में आंकड़ों की बढ़ती मांग और साथ ही सामाजिक क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की बाध्यताओं ने सांख्यिकी क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा की हैं । इनके लिए आंकड़ा संग्रहण के तंत्र को पर्याप्त रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है । पुराना सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953, हालांकि देश में आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक विधायी ढांचा तो उपलब्ध कराता है लेकिन यह उभरते सामाजार्थिक परिदृश्य में निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

देश की सांख्यिकी प्रणाली और इसकी आवश्यकताओं की जांच करने वाले रंगराजन आयोग (2001) ने सिफारिश की थी कि देश में आंकड़ा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जाएं । इसके लिए या तो सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के दायरे का विस्तार किया जाए या फिर एक नया अधिनियम पारित किया जाए । अतः सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 नाम से एक और अधिक व्यापक नया कानून बनाया गया है तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 को निरस्त कर दिया गया है । इस नए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) को संसद ने 7 जनवरी, 2009 को अधिनियमित किया था और इसे आम लोगों की जानकारी के लिए शासकीय राजपत्र में 9 जनवरी, 2009 को प्रकाशित किया गया था । इस अधिनियम को एक अन्य अधिसूचना के द्वारा 11 जून, 2010 को लागू किया गया था । इस अधिनियम के तहत नियमों को भी सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 नाम से 16 मई, 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है ।

सभी संबंधितों को इस विषय के बारे में सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'भारत में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 पर हैंडबुक' नामक यह पुस्तिका तैयार की गई है । इसमें इस नए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के विभिन्न प्रावधन तथा संबंधित नियमों और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों को सम्मिलित किया गया है । और ज्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, सामग्री को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है ।

आशा है कि यह पुस्तिका सभी संबंधितों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । सुधार हेतु सभी प्रकार के सुझावों का स्वागत है ।

मैं इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के महानिदेशक श्री एस.के. दास, अपर महानिदेशक श्री ए.के. भाटिया और उप महानिदेशक श्री नंदलाल को साधुवाद देता हूँ । साथ ही, मै श्री एम. रंगनाधम, उप महानिदेशक जो इस सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के कार्य से संबद्ध रहे और जिन्होंने इस पुस्तिका के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई, के भी योगदान की सराहना करता हूं ।

(श्रीकांत कुमार जेना)

Room No. 101, Sardar Patel Bhavan, New Delhi-110001 Tel. : 23340884, 23340739, 23367245 Fax : 23340138, 23747135
Room No. 303-A, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001 Tel. : 23383686, 23382364, 23381768 Fax : 23381713

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के संबंध में पृष्ठभूमि नोट

रंगराजन आयोग की सिफारिशें

केन्द्र सरकार द्वारा आध्र प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने 2001 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 की निम्नलिखित सीमाओं का उल्लेख किया है ।

फिलहाल, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 जो संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के केवल एक भाग को ही कवर करता है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) के सीमित प्रयोजन को ही पूरा कर रहा है । लघु उद्योग क्षेत्र की कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिन्हें एएसआई के दायरे से बाहर रखा गया है । इसी प्रकार, अपंजीकृत अनौपचारिक अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र के कई ऐसे औद्योगिक कार्यकलाप हैं, जो हालांकि बड़ी इकाइयों की पूरक इकाइयों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही गैर-औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन एएसआई के दायरे से बाहर हैं । यद्यपि अधिनियम की धारा 2 (ख) के तहत सभी "वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों" को कवर करने की गुंजाइश है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है । सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और अर्थव्यवस्था में तेजी से अपना शेयर बढ़ाते जा रहे सेवा क्षेत्र जैसे सेक्टरों को भी शामिल करना आवश्यक है । इन उद्योगों तथा इनसे जुड़े सेक्टरों में विकासात्मक घटनाक्रम को शामिल करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों से आंकड़ों की उपलब्धता होना अत्यावश्यक है ।

ऐसे मामलों में भी, जहां सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 को अभियोजन के प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है, सूचना की उपलब्धता की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है । इसका मुख्य कारण, मामूली-सा अर्थदंड है, इसकी अधिकतम सीमा मात्र 500/- रु. है, जिसे, चूक होने पर एक निश्चित सीमा के बाद सैद्धांतिक रूप से 200/- रु. प्रतिदिन के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है, इस जुर्माने को शायद ही कहीं लगाया गया हो । इसलिए, ऐसे मामलों में यह अधिनियम मुश्किल से अपना प्रयोजन पूरा करता है और फायदेमंद होने की बजाय हानिकारक बन जाता है । ऐसा तब है जबकि, एएसआई के तहत शामिल फैक्ट्रियां मांगे गए आंकड़े निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं ।

रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के दायरे का विस्तार करके या फिर एक नया अधिनियम अथवा नए अधिनियम पारित करके जरूरी कानूनी प्रावधान किए जाएं ताकिः

(i) प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, कोर सांख्यिकी के तहत किसी भी विषय को शामिल किया जा सके;

(ii) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के तत्वाधान में आयोजित किसी भी सर्वेक्षण के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यक्ति, अथवा उद्यम अथवा राज्य और प्राइवेट एजेंसियों के लिए बाध्यकारी होगा;

(iii) सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सरकारी एजेंसियों के रिकार्ड सहित सभी रिकार्डों तक पहुंच का अधिकार उपलब्ध कराया जा सके;

(iv) सूचनादाता की पहचान के खुलासे अथवा संवेदी सूचना प्रदान करने के लिए उसे बाध्य करने को गैर-कानूनी बनाकर सूचनादाता के निजता के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके;

(v) सूचना प्रदान करने से इंकार करने अथवा जानबूझकर गलत सूचना देने पर सूचनादाता पर जुर्माने का प्रावधान किया जा सके; और

(vi) अधिनियम के तहत किसी भी सर्वेक्षण से सूचना जुटाने, संसाधित करने अथवा जुटाई गई सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी यदि जानबूझकर आंकड़ों को विकृत करता है अथवा इनमें छेड़छाड़ करता है तो उसके इस कृत्य को दंडात्मक अपराध बनाया जा सके ।

नए कानून की आवश्यकता

रंगराजन आयोग की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के प्रावधान, सभी स्तरों पर आंकड़ों से संबंधित सरकार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी व्यवस्था में कई ऐसे सर्वेक्षण कार्यक्रम हैं जिनमें परिवारों, उद्यमों, कंपनियों, सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों आदि से पूरी तरह से स्वेच्छा के आधार पर सूचना जुटाई जाती है । इसके अलावा, कानून लागू करने वाले प्राधिकरण भी प्रवर्तन के प्रयोजन से संबंधित विधानों में उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाएं संग्रहित करते हैं । सरकार में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को तीसरे चरण के रूप में शामिल किए जाने से सरकारी व्यवस्था में और नए डाटा सेटों की आवश्यकता जुड़ गई है । उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की वजह से लाइसेंसिंग/विनियमन की प्रणाली समाप्त हो गई है और इसके चलते विभिन्न कानूनों/विनियमों को लागू करने के उप-उत्पाद के रूप में सूचना हासिल करने की व्यवस्था धीरे-धीरे अपना आधार खो रही है । जिन क्षेत्रों पर पहले सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था, वहां निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ ही अधिकांश क्षेत्रों में बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की वजह से पिछले वर्षों में नियोजन तथा नीति निर्माण के लिए सांख्यिकीय सूचना की आवश्यकता भी बढ़ी है ।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 नाम से एक नया विधान बनाया गया है । इस अधिनियम ने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) को निरस्त कर दिया है ।

अधिसूचना

संसद ने 7 जनवरी, 2009 को सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) पारित किया था । इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए 9 जनवरी, 2009 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । इस अधिनियम को एक और अधिसूचना के जरिए 11 जून, 2010 को लागू कर दिया गया । अधिनियम के तहत नियमों को, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 नाम से 16 मई, 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की प्रमुख विशेषताएं

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 की तुलना में, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के द्वारा आंकड़ा संग्रहण के दायरे को कई तरीकों से बढ़ाया गया है । इसका उद्देश्य, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 की अनेक सीमितताओं को दूर करना है । सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 की तुलना में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं ।

(i) 1953 के अधिनियम में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों को किसी भी उद्योग अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से किसी भी विषय के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया था । नए अधिनियम में, न केवल औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से बल्कि व्यक्तियों और परिवारों से भी सभी प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के लिए दायरे को बढ़ाया गया है । पंचायतों तथा नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय सरकारों को भी इस नए अधिनियम में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया गया है ।

(ii) 1953 के अधिनियम में, केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, को सांख्यिकी संग्रहण के आयोजन के लिए सांख्यिकीय प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था । नए अधिनियम में, दायरे को इस सीमा तक बढ़ा दिया गया है कि राज्यों अथवा केन्द्रों या स्थानीय सरकार के सरकारी विभाग/संगठन आंकड़ा संग्रहण के प्रत्येक विषय के लिए और/अथवा प्रत्येक भौगोलिक इकाई के लिए एक सांख्यिकीय अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार, नए अधिनियम ने हालांकि 1953 के अधिनियम की सहजकारी प्रवृति को बनाए रखा है लेकिन साथ ही इसने अपने कार्यक्षेत्र में स्थानीय सरकार को शामिल करके " समुचित सरकार" की परिभाषा के दायरे का विस्तार किया है ।

(iii) नए अधिनियम में, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को आवश्यक इनपुट, कर्मचारीवृंद आदि के रूप में सहयोग सुनिश्चित कराने का प्रावधान भी किया गया है । इस प्रकार के प्रावधान 1953 के अधिनयम में नहीं थे ।

(iv) 1953 के अधिनियम में, सर्वेक्षणों के दोहरीकरण से बचने और आंकड़ों के संग्रहण के लिए मानक सुनिश्चित करने का कोई भी तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है । नए अधिनियम में, केन्द्र सरकार को दोहरीकरण से बचाने तथा देश के लिए महत्वपूर्ण " कोर सांख्यिकी" के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण में तकनीकी मानक बनाए रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार है ।

(v) 1953 के अधिनियम में, आंकड़ों के संग्रहण का तरीका रिटर्न के रूप में था जिसे सांख्यिकी प्राधिकारी प्रत्येक उद्योग/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करने के बाद हासिल किया करते थे । नए अधिनियम में मौखिक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ आंकड़ा संग्रहण के सभी तरीकों को कवर किया गया है ।

(vi) 1953 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के तहत किसी भी सूचनादाता से एकत्र की गई सूचना का केवल अधिनियम के तहत अथवा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अभियोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा किसी अन्य प्रयोजन से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । नए अधिनियम में, यह प्रावधान है कि सूचना का उपयोग केवल सांख्यिकी प्रयोजनों तथा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन के उद्देश्य से ही किया जाएगा ।

(vii) 1953 के अधिनियम में, जुर्माने की राशि बहुत कम थी और अभियोजन की प्रक्रिया बहुत पेचीदा थी । नए अधिनियम में, इन्हें युक्तिसंगत बनाया गया है । सूचना न देने के मामले में जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है । अभियोजन की

प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि संक्षिप्त सुनवाई के जरिए, आंकड़ा संग्रहण करने वाली एजेंसियों पर सबूत पेश करने का दायित्व न रहे ।

(viii) नए अधिनियम में पद्धतिगत मानक, समयपरकता, विश्वसनीयता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय महत्व के कुछेक विषयों को "कोर सांख्यिकी" के रूप में अधिसूचित करने के लिए समुचित सहजकारी प्रावधान भी बनाए गए हैं ।

(ix) आंकड़ा संग्रहण के कार्यक्रमों के अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए, नए अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान भी उपलब्ध कराए गए हैं ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 7)

[7 जनवरी, 2009]

आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावर्णीय पहलुओं पर सांख्यिकी संग्रहण को सुकर बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा,जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या बाह्य स्रोत के माध्यम से सांख्यिकी संग्रहण के लिए लगाया गया/लगाए गए व्यक्ति भी हैं ;

(ख) "समुचित सरकार" से धारा 3 के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के संबंध में,—

(i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग; या

(ii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई मंत्रालय या विभाग; या

(iii) कोई स्थानीय शासन जैसे कि, यथास्थिति, पंचायत या नगरपालिकाएं,

अभिप्रेत हैं;

(ग) "सूचनादाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सांख्यिकीय सूचना का प्रदाय करता है या जिसके द्वारा सांख्यिकी सूचना का प्रदाय करना अपेक्षित है और इसके अन्तर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म का स्वामी या अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत मान्यताप्राप्त कोई संगम है ;

1932 का 9

1956 का 1

1860 का 21

(घ) "सूचना अनुसूची" से कोई पुस्तक, दस्तावेज, प्ररूप, कार्ड, टेप, डिस्क या

कोई भंडारण माध्यम अभिप्रेत है, जिस पर अपेक्षित सूचना दर्ज या अभिलिखित की गई है या जिसका दर्ज करना या अभिलेखन करना इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "नमूना लेना" से ऐसी कोई सांख्यिकीय प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा जांच के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित सूचना सांख्यिकीय तकनीकों के प्रयोग द्वारा जांच के क्षेत्र से सुसंगत संबंधित व्यक्तियों या एककों की कुल संख्या के समानुपात के संबंध में सूचना अभिप्राप्त की जाती है ;

(छ) "सांख्यिकीय सर्वेक्षण" से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन पूर्णतः या प्राथमिकत: समुचित सांख्यिकीय प्रक्रियाओं द्वारा प्रसंस्करण और संक्षिप्तीकरण के प्रयोजनों के लिए जनगणना या सर्वेक्षण अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सभी सूचनादाताओं से जांच के क्षेत्र में या उसके नमूनों से सूचना का संग्रहण किया जाता है ;

(ज) "सांख्यिकी" से ऐसी सांख्यिकी अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा ऐसे सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, प्रशासनिक और रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों और अन्य प्ररूपों तथा पत्रों से जिनका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रकाशित या अप्रकाशित प्ररूप में है, सांख्यिकी संगृहीत, वर्गीकृत और उपयोग करके विशेषकर बड़ी मात्रा में या बड़ी मात्राओं के लिए या बड़ी संख्या सांख्यिकी प्राप्त की गई है ;

(झ) "सांख्यिकी अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी निदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

सांख्यिकी का संग्रहण

3. समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावर्णीय पहलुओं पर सांख्यिकी, सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से या अन्यथा एकत्रित की जाएगी और उसके पश्चात् उस सांख्यिकी के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे :

परन्तु यह कि—

(क) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय शासन को किसी विषय के संबंध में जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में से किसी के अधीन है, सांख्यिकी के संग्रहण की बाबत कोई निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार ने किसी विषय के संबंध में सांख्यिकी का संग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई वैसा ही निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है ; या

(ग) जहां किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय शासन ने किसी विषय से संबंधित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए इस धारा के अधीन निदेश जारी किया है, वहां केन्द्रीय सरकार वैसा ही कोई निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है सिवाय उस

कोई भंडारण माध्यम अभिप्रेत है, जिस पर अपेक्षित सूचना दर्ज या अभिलिखित की गई है या जिसका दर्ज करना या अभिलेखन करना इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "नमूना लेना" से ऐसी कोई सांख्यिकीय प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा जांच के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित सूचना सांख्यिकीय तकनीकों के प्रयोग द्वारा जांच के क्षेत्र से सुसंगत संबंधित व्यक्तियों या एककों की कुल संख्या के समानुपात के संबंध में सूचना अभिप्राप्त की जाती है ;

(छ) "सांख्यिकीय सर्वेक्षण" से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन पूर्णतः या प्राथमिकत: समुचित सांख्यिकीय प्रक्रियाओं द्वारा प्रसंस्करण और संक्षिप्तीकरण के प्रयोजनों के लिए जनगणना या सर्वेक्षण अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सभी सूचनादाताओं से जांच के क्षेत्र में या उसके नमूनों से सूचना का संग्रहण किया जाता है ;

(ज) "सांख्यिकी" से ऐसी सांख्यिकी अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा ऐसे सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, प्रशासनिक और रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों और अन्य प्ररूपों तथा पत्रों से जिनका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रकाशित या अप्रकाशित प्ररूप में है, सांख्यिकी संगृहीत, वर्गीकृत और उपयोग करके विशेषकर बड़ी मात्रा में या बड़ी मात्राओं के लिए या बड़ी संख्या सांख्यिकी प्राप्त की गई है ;

(झ) "सांख्यिकी अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी निदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

सांख्यिकी का संग्रहण

3. समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावर्णीय पहलुओं पर सांख्यिकी, सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से या अन्यथा एकत्रित की जाएगी और उसके पश्चात् उस सांख्यिकी के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे :

परन्तु यह कि—

(क) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय शासन को किसी विषय के संबंध में जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में से किसी के अधीन है, सांख्यिकी के संग्रहण की बाबत कोई निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार ने किसी विषय के संबंध में सांख्यिकी का संग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई वैसा ही निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है ; या

(ग) जहां किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय शासन ने किसी विषय से संबंधित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए इस धारा के अधीन निदेश जारी किया है, वहां केन्द्रीय सरकार वैसा ही कोई निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है सिवाय उस

दशा में जब ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में किया जाना है।

समुचित सरकार की सांख्यिकी अधिकारियों आदि को नियुक्त करने की शक्तियां ।

4. (1) समुचित सरकार उसके द्वारा निदेशित किसी सांख्यिकी का संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए किसी भौगोलिक इकाई के लिए किसी सांख्यिकी अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी या नियुक्ति करवा सकेगी ।

(2) समुचित सरकार किसी विनिर्दिष्ट भौगोलिक इकाई में सांख्यिकी का संग्रहण करने या उसमें सहायता करने या उसका पर्यवेक्षण करने में किसी अभिकरण को या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे अभिकरण या व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर तदनुसार सेवा करने के लिए बाध्य होंगे ।

(3) समुचित सरकार उसके द्वारा निदेशित सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए संविदा के आधार पर किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या संगम या व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा ऐसे रक्षोपायों पर जो विहित किए जाएं, नियोजित कर सकेगी।

(4) समुचित सरकार, किसी सांख्यिकी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा उसे प्रदत्त उस भौगोलिक इकाई के भीतर, जिसके लिए ऐसे सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने या किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संगम को संविदा के आधार पर नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(5) समुचित सरकार, आदेश द्वारा अपेक्षित ऐसे प्ररूप, विशिष्टियां या अन्तराल में जिसके भीतर और वह सांख्यिकीय अधिकारी जिसको सूचनादाता द्वारा सांख्यिकीय सूचना दी जाएगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(6) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी सांख्यिकी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त कोई शक्ति धारा 3 के अधीन उसके द्वारा जारी निदेश के अधीन सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

सूचना मांगने की सांख्यिकी अधिकारी की शक्ति ।

5. सांख्यिकी अधिकारी, किसी भौगोलिक इकाई में जिसके लिए उक्त अधिकारी नियुक्त किया गया था, किसी विनिर्दिष्ट विषय पर सांख्यिकी संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) किसी सूचनादाता पर धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना देने के लिए उससे लिखित में मांग करते हुए, किसी सूचना की तामील कर सकेगा या करा सकेगा या उसको भरने के प्रयोजन के लिए किसी सूचनादाता को दी जाने वाली सूचना की समय सूची दिलवा सकेगा ; या

(ख) किसी सूचनादाता से विषय से संबंधित सभी प्रश्न कर सकेगा ; या

(ग) टैलीफैक्स या टेलीफोन या ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति या विभिन्न रीतियों के संयोजन के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना मांग सकेगा।

सूचनादाता के कर्तव्य ।

6. वे सूचनादाता जिनसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास के अनुसार विहित रीति में ऐसी मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होंगे ; और उस दशा में जहां किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह या इकाई के केवल एक भाग से किसी नमूना प्रक्रिया के कारण सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है वहां किसी सूचनादाता के पक्ष पर उस सूचना को यदि इस प्रकार मांगी गई है, प्रस्तुत करने में असफल रहने पर कोई बचाव नहीं होगा।

सहायता के लिए सभी अभिकरण ।

7. प्रत्येक अभिकरण, सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को, ऐसी मदद और सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जिनकी वह कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षा करे, तथा ऐसे अभिलेखों, रेखांकों और अन्य दस्तावेजों को, जो आवश्यक हों, निरीक्षण और जांच के लिए उपलब्ध कराएगा।

अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार ।

8. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन किसी सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी सूचनादाता के कब्जे में किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज की प्रति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, के प्रति पहुंच रखेगा और किसी युक्तियुक्त समय पर किन्हीं परिसरों में जहां वह यह विश्वास करता है कि ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखे जाते हैं, प्रवेश कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या कोई आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ।

अध्याय 3

कतिपय दशाओं में सूचना का प्रकटन और उनके उपयोग पर निर्बन्धन

सूचना की सुरक्षा।

9. (1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को प्रस्तुत की गई कोई सूचना केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण और ऐसे संग्रहण के परिणामस्वरूप सांख्यिकी तैयार करने के कार्य में लगे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी सूचना अनुसूची या पूछे गए प्रश्न के किसी उत्तर को देखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी सूचना अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई सूचना और पूछे गए किसी प्रश्न का कोई उत्तर इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी अभिकरण को सूचनादाताओं की पहचान को छिपाए बिना पृथक् रूप से न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही प्रकटित किया जाएगा ।

(4) किसी अभिकरण द्वारा प्रकाशित सभी सांख्यिकीय सूचना ऐसी रीति में व्यवस्थित की जाएगी जिससे किन्हीं विशिष्टियों को किसी व्यक्ति द्वारा (उस सूचनादाता से भिन्न जिसके द्वारा वे विशिष्टियां प्रदाय की गई थीं) सूचनादाता से संबंधित विशिष्टियों के रूप में जिसने इसे प्रदाय किया है, समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचान योग्य बनाए जाने से तब तक न रोका जा सके, जब तक कि—

(क) उस सूचनादाता ने उस रीति में उनके प्रकाशन के लिए सहमति न दे दी हो; या

(ख) उस रीति में उनका प्रकाशन संबद्ध अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से देख न लिया गया हो ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसे नियम बना सकेगी या ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

कतिपय सूचना का प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत समुचित सरकार।

10. इस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार निम्नलिखित सूचना का प्रकटन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे सूचनादाता द्वारा प्रदाय की गई सूचना जिसकी बाबत सूचनादाता या उक्त सूचनादाता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्रकटन की सहमति दी गई है ;

(ख) किसी अधिनियम के अधीन या किसी लोक दस्तावेज के रूप में जनता को अन्यथा उपलब्ध सूचना ;

(ग) नामों की अनुक्रमणिका या सूची के रूप में सूचना और वर्गीकरण सहित, सूचनादाताओं के पते, यदि कोई हों, जो उनको आबंटित हों, और लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार ।

8. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन किसी सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी सूचनादाता के कब्जे में किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज की प्रति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, के प्रति पहुंच रखेगा और किसी युक्तियुक्त समय पर किन्हीं परिसरों में जहां वह यह विश्वास करता है कि ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखे जाते हैं, प्रवेश कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या कोई आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ।

अध्याय 3

कतिपय दशाओं में सूचना का प्रकटन और उनके उपयोग पर निर्बन्धन

सूचना की सुरक्षा।

9. (1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को प्रस्तुत की गई कोई सूचना केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण और ऐसे संग्रहण के परिणामस्वरूप सांख्यिकी तैयार करने के कार्य में लगे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी सूचना अनुसूची या पूछे गए प्रश्न के किसी उत्तर को देखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी सूचना अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई सूचना और पूछे गए किसी प्रश्न का कोई उत्तर इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी अभिकरण को सूचनादाताओं की पहचान को छिपाए बिना पृथक् रूप से न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही प्रकटित किया जाएगा ।

(4) किसी अभिकरण द्वारा प्रकाशित सभी सांख्यिकीय सूचना ऐसी रीति में व्यवस्थित की जाएगी जिससे किन्हीं विशिष्टियों को किसी व्यक्ति द्वारा (उस सूचनादाता से भिन्न जिसके द्वारा वे विशिष्टियां प्रदाय की गई थीं) सूचनादाता से संबंधित विशिष्टियों के रूप में जिसने इसे प्रदाय किया है, समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचान योग्य बनाए जाने से तब तक न रोका जा सके, जब तक कि—

(क) उस सूचनादाता ने उस रीति में उनके प्रकाशन के लिए सहमति न दे दी हो; या

(ख) उस रीति में उनका प्रकाशन संबद्ध अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से देख न लिया गया हो ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसे नियम बना सकेगी या ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

कतिपय सूचना का प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत समुचित सरकार।

10. इस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार निम्नलिखित सूचना का प्रकटन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे सूचनादाता द्वारा प्रदाय की गई सूचना जिसकी बाबत सूचनादाता या उक्त सूचनादाता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्रकटन की सहमति दी गई है ;

(ख) किसी अधिनियम के अधीन या किसी लोक दस्तावेज के रूप में जनता को अन्यथा उपलब्ध सूचना ;

(ग) नामों की अनुक्रमणिका या सूची के रूप में सूचना और वर्गीकरण सहित, सूचनादाताओं के पते, यदि कोई हों, जो उनको आबंटित हों, और लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

11. (1) इस अधिनियम की धारा 9 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी, समुचित सरकार, अन्य अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के अनुसरण में सद्भावपूर्ण अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए व्यष्टिक विवरणियों या फार्मेट या सूचना अनुसूची का प्रकटन कर सकेगी। सद्भावपूर्वक अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सूचना अनुसूचियों का प्रकटन ।

(2) इस धारा के अनुसरण में कोई व्यष्टिक विवरणी या सूचना अनुसूची का तब तक प्रकटन नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) उस सूचनादाता का नाम और पते का लोप नहीं किया जाता है जिसके द्वारा अनुसूची या संबंधित सूचना प्रदाय की गई थी ;

(ख) अनुसंधान या सांख्यिकीय परियोजना में अंतर्वलित प्रत्येक अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय उन्हें प्रकटित अनुसूचियों का उपयोग मात्र सद्भावपूर्ण अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए करने की घोषणा नहीं करता हो ; और

(ग) समुचित सरकार का ऐसा प्रकटन करते समय यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुसूची और उसमें अन्तर्विष्ट किसी सूचना की सुरक्षा का ह्रास नहीं होगा ।

(3) किसी अनुसंधान या सांख्यिकीय परियोजना के प्रकाशित परिणाम उस सूचना से अधिक कोई सूचना प्रकट नहीं होगी जिसे समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित करे ।

(4) प्रत्येक अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय जिसको इस धारा के अधीन कोई व्यष्टिक विवरणी या सूचना अनुसूची प्रकट की गई है, अनुसूचियों और उनमें अन्तर्विष्ट किसी सूचना से संबंधित प्रकटन करते समय सांख्यिकी संग्रहण के लिए प्राधिकृत अभिकरण द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा ।

12. इस अधिनियम की धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार सूचना अनुसूची से संबंधित ऐसे दस्तावेजों का निर्मोचन कर सकेगी जो उसकी राय में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं । ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रकटन ।

13. सांख्यिकी अधिकारी या सांख्यिकी संग्रहण के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण इस अधिनियम के अनुसरण में कोई सांख्यिकी सूचना व्यष्टिक विवरणियों, सूचना अनुसूचियों, कार्य पत्रकों या किसी अन्य गोपनीय स्रोत से कार्डों, टेपों, डिस्कों, फिल्मों या किसी अन्य प्रणाली से चाहे उनका कोड भाषा या साधारण भाषा प्रतीकों में प्रसंस्करण, भंडारण या विशिष्टियों के पुनरुत्पादन के लिए प्रति बनाते समय या अभिलेखन करते समय ऐसे उपाय किए जाएंगे या ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के सुरक्षा उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है । अभिलिखित सूचना की सुरक्षा ।

14. इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय,— सूचना के उपयोग पर निर्बन्धन ।

(क) इस अधिनियम के अनुसरण में अभिप्राप्त कोई सूचना और किसी सूचनादाता के कब्जे में सूचना की कोई प्रति किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रकटित या उपयोग नहीं की जाएगी ; और

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सांख्यिकी के संग्रहण में अपनी पदीय हैसियत के कारण किसी सूचना के प्रति पहुंच रखता है, इस अधिनियम में उपबंधित रीति के सिवाय किसी भी कार्यवाही में इस अधिनियम के प्रशासन के अनुक्रमण में अभिप्राप्त किसी सूचना के संबंध में कोई अनुसूची, दस्तावेज या अभिलेख या सूचना के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियां

विशिष्टियां प्रदाय करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति ।

15. (1) जो कोई किसी लेखा बही, वाउचर, दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या इसके किसी उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उसको संबोधित किसी प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी की दोषसिद्धि उसे या उसको उपधारा (1) के अधीन बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी और यदि दोषसिद्धि की तारीख से चौदह दिन के अवसान के पश्चात् वह या यह अपेक्षित विशिष्टियां देने में असफल रहता है या विशिष्टियों को उसमें भरने या प्रदाय करने से या प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है तब वह या यह उस प्रथम दिन से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह व्यतिक्रम जारी रहता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति।

16. जो कोई, जानबूझकर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में जो भरी गई है या प्रदाय की गई है या उससे पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर में कोई मिथ्या या भ्रामक कथन करता है या लोप करता है, तात्त्विक है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

सूचना अनुसूची को विकृत करने या प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

17. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन संगृहीत किसी सूचना अनुसूची, प्ररूप या अन्य विशिष्टियों वाले दस्तावेज को नष्ट करता है, प्रतिरूपित करता है, हटाता है या विकृत करता है वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति।

18. जो कोई, किसी कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करता है, अवरोध करता है या बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

अन्य अपराधों के लिए शास्ति ।

19. जो कोई—

(क) इस अधिनियम के किसी उपबंध या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या उसका अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(ख) स्वेच्छया किसी सांख्यिकी अधिकारी या किसी अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी के साथ प्रवंचना करता है या प्रवंचना करने का प्रयास करता है,

ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों और कृत्यों को किए जाने में असफल रहने के लिए शास्ति।

20. यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य या कृत्य के निष्पादन में नियोजित है,—

(क) विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कर्तव्य को करने का लोप करता है या जानबूझकर कोई मिथ्या घोषणा, कथन या विवरणी देता है; या

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहाना करता है, या ऐसी सूचना अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने की वांछा करता है जिसे अभिप्राप्त करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है; या

(ग) इस अधिनियम के अनुसरण में संगृहीत सूचना अनुसूची में इकट्ठी या दर्ज की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखने में असफल रहता है और इस अधिनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी सूचनादाता द्वारा फाइल की गई किसी अनुसूची में या दी गई किसी सूचना की अंतर्वस्तु प्रकट करता है,

ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कर्मचारी के प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

21. जो कोई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सांख्यिकी संग्रह करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, शब्द, आचरण या प्रदर्शन द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

22. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्य कहीं कोई शास्ति विहित नहीं है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कंपनी द्वारा अपराध।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

24. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार या, यथास्थिति, ऐसी समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी।

25. किसी सूचनादाता द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन सांख्यिकी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा और सूचनादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

26. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध यथासाध्य ऐसे विचारण को लागू होंगे: 1974 का 2

परन्तु जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है तब मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुन: सुनवाई करेगा ।

अध्याय 5

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति।

27. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी विषय को 'मुख्य सांख्यिकी' के रूप में घोषित कर सकेगी और ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी जो वह इस प्रकार घोषित विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसार को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निदेश देने की शक्ति।

28. केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय सरकार अर्थात् पंचायतों या नगरपालिकाओं को इस अधिनियम का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या पंचायतों या नगरपालिकाओं में निष्पादन करने के लिए निदेश दे सकेगी।

लोक सेवक।

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण या शासकीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

अधिकारिता का वर्जन।

30. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए समुचित सरकार या सांख्यिकी अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. इस अधिनियम या तद्धीन जारी किए गए नियमों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या अभिकरण या किसी सांख्यिकी अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

अध्यारोही प्रभाव।

32. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार मानव जनसंख्या जनगणना के संचालन के सिवाय प्रभावी होंगे । 1948 का 37

अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी।

25. किसी सूचनादाता द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन सांख्यिकी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा और सूचनादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

26. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध यथासाध्य ऐसे विचारण को लागू होंगे: 1974 का 2

परन्तु जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है तब मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुन: सुनवाई करेगा ।

अध्याय 5

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति।

27. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी विषय को 'मुख्य सांख्यिकी' के रूप में घोषित कर सकेगी और ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी जो वह इस प्रकार घोषित विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसार को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निदेश देने की शक्ति।

28. केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय सरकार अर्थात् पंचायतों या नगरपालिकाओं को इस अधिनियम का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या पंचायतों या नगरपालिकाओं में निष्पादन करने के लिए निदेश दे सकेगी।

लोक सेवक।

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण या शासकीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

अधिकारिता का वर्जन।

30. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए समुचित सरकार या सांख्यिकी अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. इस अधिनियम या तद्धीन जारी किए गए नियमों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या अभिकरण या किसी सांख्यिकी अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

अध्यारोही प्रभाव।

32. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार मानव जनसंख्या जनगणना के संचालन के सिवाय प्रभावी होंगे । 1948 का 37

अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी।

25. किसी सूचनादाता द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन सांख्यिकी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा और सूचनादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

26. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध यथासाध्य ऐसे विचारण को लागू होंगे: 1974 का 2

परन्तु जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है तब मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुन: सुनवाई करेगा ।

अध्याय 5

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति।

27. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी विषय को 'मुख्य सांख्यिकी' के रूप में घोषित कर सकेगी और ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी जो वह इस प्रकार घोषित विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसार को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निदेश देने की शक्ति।

28. केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय सरकार अर्थात् पंचायतों या नगरपालिकाओं को इस अधिनियम का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या पंचायतों या नगरपालिकाओं में निष्पादन करने के लिए निदेश दे सकेगी।

लोक सेवक।

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण या शासकीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

अधिकारिता का वर्जन।

30. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए समुचित सरकार या सांख्यिकी अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. इस अधिनियम या तद्धीन जारी किए गए नियमों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या अभिकरण या किसी सांख्यिकी अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

अध्यारोही प्रभाव।

32. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार मानव जनसंख्या जनगणना के संचालन के सिवाय प्रभावी होंगे । 1948 का 37

1953 का 32

33. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा सांख्यिकी अधिकारियों के नामांकन और रजिस्ट्रीकरण सहित धारा 3 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक आवृत्ति से बचने के लिए भी यथासंभव प्रभावी रूप से समन्वय के लिए सिद्धांत;

(ख) वे शर्तें और निबंधन तथा ऐसे रक्षोपाय, जिनके अधीन समुचित सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या अभिकरण या कंपनी अथवा संगठन या संगम को लगाया जा सकेगा;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सिद्धांत, जिनमें सूचना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी ;

(घ) उस रीति को विहित करने के लिए सिद्धांत, जिसमें धारा 8 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार और प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जांए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1953 का 32

34. (1) सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 1953 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नए नियम नहीं बनाए जाते हैं।

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2011/वैशाख 26, 1933
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2011/VAISAKHA 26, 1933

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 387(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के खंड 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 अभिप्रेत है;

(ख) "फार्म" से इन नियमों से संलग्न फार्म अभिप्रेत है।

(ग) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत अधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "निजी सूचना" से किसी सूचनादाता के संबंध में ऐसी कोई सूचना, अभिप्रेत है, चाहे वह सत्य है या नहीं, और चाहे वह तात्विक रूप से अभिलिखित की गई है या नहीं है और जिसकी पहचान का अभिनिश्चियन इस प्रकार की सूचना से उपयुक्त तरीके से किया जा सकेगा ।

(ङ) "संदर्भ अवधि" से वह अभिप्रेत है जिस अवधि के दौरान आंकड़े संग्रहीत किए गए और यह परिगणना इकाइयों की विशेषताओं को भी दर्शाती है ।

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासन अभिप्रेत है; एवं

(छ) "आउटसोर्सिंग" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए निजी सेवा प्रदाता की सेवाओं का प्रयोग अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अर्थ उनका अधिनियम में हैं ।

3. **नोडल अधिकारी.**—(1) केंद्रीय सरकार, सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में राज्य सरकार के उप सचिव स्तर की पंक्ति से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

4. नोडल अधिकारी की शक्तियां एवं कर्त्तव्य — (1) नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया गया नोडल अधिकारी —

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण एवं अद्यतन करेगा;

(ख) समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्यों के नोडल अधिकारियों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत की गई है या नहीं, को प्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा;

(ग) केंद्रीय सरकार के विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों को प्रशासनिक अभिलेखों की सांख्यिकीय संभावना में सुधार लाने के उपायों पर परामर्श देगा ताकि ऐसे प्रशासनिक अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके ।

(घ) केंद्रीय सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच सांख्यिकी सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके और

(ङ) कार्यकरण पर केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(2) नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किया गया नोडल अधिकारी —

(क) समय-समय पर राज्य में नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर अनुरक्षित एवं अद्यतन करेगा;

(ख) समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों एवं राज्य में स्थानीय सरकारों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहीत की गई है या नहीं, को अभिप्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा ।

(ग) राज्य सरकार और राज्य में स्थानीय शासनों के प्रशासनिक अभिलेखों की संभावना में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों का परामर्श देना ताकि ऐसे प्रशासनिक

अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके ।

(घ) राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय शासनों के बीच सांख्यिकीय सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके;

(ङ.) सरकारी विभागों तथा राज्य में स्थानीय शासनों से इस अधिनियम के कार्यकरण पर यथापेक्षित रिपोर्टें प्राप्त करना, तथा राज्य में इस अधिनियम के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्टें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भेजना ।

5. आंकड़ों के संग्रहण पर निदेशः- (1) राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा राज्य में कोई स्थानीय शासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, राज्य में नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(3) नोडल अधिकारी किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर उप नियम (1) अथवा उप नियम (2) के अधीन, यथास्थिति किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर एक माह की अवधि के भीतर, संबंधित कार्यालय को यथास्थिति ऐसी सलाह देगा जिससे सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(4) समुचित सरकार, यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन सलाह प्राप्त होने पर, ऐसी सलाह से असहमति से सभी मामलों की संसूचना नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व देगी ।

(5) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी; अर्थात्

(क) सांख्यिकी संग्रहण का विषय एवं प्रयोजन;
(ख) सांख्यिकी संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र;
(ग) आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया;
(घ) सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संग्रहीत किए जाने हैं;
(ङ.) अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूरा किया जाना है;
(च) निर्दिष्ट अवधि;

(छ) संग्रहीत की जाने वाली सूचना का प्रकार;

(ज) भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है;

(झ) सूचनादाता की बाध्यता;

( ) निरीक्षण किए जाने वाले कारोबार संबंधी अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों का प्रकार; और

(ट) निरीक्षण की रीति ।

(6) उप नियम (5) में संदर्भित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी एवं संबंधित राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाए ।

6. सूचना अनुसूचियां विहित करने के सिद्धांत — किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु कोई सूचना अनुसूची विहित करने के संबंध में, यथास्थिति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकीय अधिकारी, स्वयं करेगा कि --

(i) उसे अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के अधीन दिए गए निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उस विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण का निदेश देने का प्राधिकार है;

(ii) उसने सूचना संग्रहीत की जाने वाली मदों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ, अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श किया है;

(iii) निदेश देकर सूचनादाता पर अत्याधिक मांग नहीं डाली जाएगी और जहां आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए सूचना अनुसूची की क्षेत्र जांच कर ली गई हो;

(iv) किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण के लिए विनिर्निष्ट सूचना अनुसूचियों में रेंज और ब्यौरे आंत्यांतिक अपेक्षा तक सीमित रखे जाएंगे;

(v) जहां तक संभव हो रिपोर्ट देने का दायित्व समुचित नमूनाकरण के माध्यम से सूचनादाताओं पर डाला जाएगा;

(vi) कारोबार से संबंधित मांगी गई सूचना, उनके खातों से सहज ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा यथासंभव इलेक्ट्रोनिक साधन उपयोग किए जाने चाहिएं ताकि उनके संग्रहण को सुगम बनाया जा सके ।

(vii) जब किसी सूचनादाता के पास यथार्थ ब्यौरे सहज में उपलब्ध नहीं हैं तो मांगी गई सूचना की किसी मद पर बेहतर आकलनों एवं मोटे अनुमानों को स्वीकार किया जाएगा;

(viii) किसी सूचनादाता से सांख्यिकी संग्रहण के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सूचना अनुसूची में, जहां आवश्यक है, उन विशिष्टियों के लिए प्रावधान जिन पर सूचना सूचनादाता के विवेक पर प्रस्तुत की जा सकती है;

(ix) विशिष्टियां भरने तथा सांख्यिकी के संग्रहण में लगे संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में प्रावधान किया गया है ।

(x) अधिनियम के अंतर्गत उनसे सांख्यिकी का संग्रहण करने से पहले सूचनादाता को सामान्य सूचना के लिए, उनसे एकत्र की गई किसी सूचना को प्रकट करने की अपनी योजना, यदि कोई है, को प्रत्येक सूचना अनुसूची में सूचित कर जो समुचित सरकार की राय में किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा सार्वजनिक दस्तावेज़ों के रूप में अथवा उनको आबंटित किसी वर्गीकरण, यदि कोई है, तथा संलग्न लोगों की संख्या दोनों के साथ सूचनादाता के नामों और पतों की तालिका अथवा सूची के रूप में उपलब्ध है ।

(xi) प्रत्येक सूचनादाता से, जिनकी खंड (X) अधीन आनेवाली सूचना से भिन्न सूचना के प्रकटन का वह प्रस्ताव करता है कि लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में उपबंध करना ।

7. **सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति**-(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति करने वाली प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्

(क) आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रत्येक भौगोलिक इकाई हेतु सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का नाम, पदनाम और पता;

(ख) आंकड़ों के संग्रहण से जुड़े किसी अभिकरण अथवा कम्पनी अथवा संगठन अथवा संगम या व्यक्ति के ब्यौरे, तथा कार्य से संबंधित निबंधन और शर्तें तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रक्षोपाय;

(ग) अपेक्षित प्रारूप और विशिष्टियां अथवा अंतराल, जिसमें कोई सांख्यिकी अधिकारी, जिसको, सूचनादाताओं द्वारा दी गई सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की जाएगी; तथा

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (4) और उप धारा (6) के अधीन किसी सांख्यिकी अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां, यदि कोई हों ।

(2) प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपनी नियुक्ति पर तुरंत समुचित सरकार को प्रपत्र-I में एक वचन-बंध प्रस्तुत करेगा ।

8. **सांख्यिकी अधिकारियों का रजिस्ट्रीकरणः**- समुचित सरकार, प्रारूप-II में सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और भौगोलिक क्षेत्रों जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, के संबंध में सांख्यिकीय अधिकारियों का एक अभिलेख रखेगी ।

9. **सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां और कृत्यः**- किसी भौगोलिक इकाई में किसी विषय के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगेः-

(i) अनुदान प्राप्त करना और आंकड़ों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करना;

(ii) आंकड़ों के संग्रहण के लिए अभिकरणों की नियुक्ति करना या उन्हें इस कार्य में लगाना;

(iii) आंकड़ों के संग्रहण में लगे व्यक्तियों से प्रारूप -I में वचन-बंध प्राप्त करना तथा उन्हें समुचित सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करना;

(iv) सुसंगत सूचना अनुसूचियों तथा आंकड़ों के संग्रहण की रीति अथवा रीतियों को तैयार करना या करवाना;

(v) अपनी अधिकारिता के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के कार्य को ऐसे विभिन्न व्यक्तियों और अभिकरणों को आबंटित करना या करवाना, जो इस प्रयोजन के लिए कार्यरत हैं;

(vi) सभी सुसंगत सामग्री को कार्यरत अभिकरणों को वितरित करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि आंकड़ों के संग्रहण को सुकर बनाया जा सके;

(vii) समुचित समय पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करवाना;

(viii) आंकड़ों के संग्रहण की अवधि के दौरान सभी अभिकरणों के कार्य में समन्वय करना तथा आंकड़ों के संग्रहण के सूचारू संचालन हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखना;

(ix) जहां आवश्यक हो, सूचनादाताओं को, सूचना प्रस्तुत करने के लिए, अपने हस्ताक्षर से सूचना जारी करना तथा ऐसे सूचनादाताओं से प्राप्त हुई पावतियों को सुरक्षित ढंग से रखवाना;

(x) यदि सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में विभिन्न निर्दिष्ट अवधियों सहित सूचनादाताओं का समान समूह शामिल है, तो प्रत्येक सूचनादाता को केवल एक सूचना जारी करने के लिए कदम उठाना जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना और वे निर्दिष्ट अवधियां दर्शाई गई हों, जिनके लिए सूचना अपेक्षित है;

(xi) स्वयं द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, आंकड़ों के संग्रहण के लिए किसी सूचनादाता के परिसर में प्रवेश हेतु लिखित स्वीकृति देना तथा उन्हें स्वयं द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रदान करना;

(xii) मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए यदि सूचनादाताओं को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध कराना;

(xiii) किसी सूचनादाता को एकत्रित सूचना तक उस सूचनादाता की पहुंच संभव बनाना ताकि किसी अशुद्ध सूचना की स्थिति में, सुधार अथवा संशोधन के विषय में सूचित करना सुकर हो सके;

(xiv) किसी सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कारित करना;

(xv) शिकायतों के आधार पर अथवा अन्यथा गलती करने वाले व्यक्तियों और अन्य के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करना;

(xvi) आंकड़ो के संग्रहण में लगे हुए अभिकरणों से सभी सूचना अनुसूचियां प्राप्त करना, आंकड़ों के संग्रहण में लगे हुए सभी व्यक्तियों से वचन-बंध अभिप्राप्त करना, उनके कार्य के पूरा होने पर अन्य सभी सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज अभिप्राप्त करना तथा उस निमित्त प्रमाण पत्र के साथ उन्हें समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करना;

(xvii) ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आंकड़ों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक हों; और

(xviii) ऐसी आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

10. आंकड़ों के संग्रहण में सहायताः- (i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय शासनों का प्रत्येक विभाग, यथा अपेक्षित समय और प्रारूप में, सूचनादाताओं की सूची और उनके पास उपलब्ध ऐसी अन्य सूचना जो इन नियमों के अधीन किसी सांख्यिकी सर्वेक्षण को आयोजित करने के लिए सुसंगत है, सांख्यिकी अधिकारी या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति को, इस निमित्त की प्राप्ति पर, प्रस्तुत करेगा ।

(2) यथास्थिति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी, अधिनियम के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के लिए अपेक्षित सहायता की प्रकृति का विशेष उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य शासन या किसी स्थानीय शासन के किसी विभाग को पत्र लिख सकता है तथा ऐसे पत्र की प्राप्ति पर, उक्त विभाग यथासाध्य आवश्यकता की पूर्ति करेगा ।

(3) विक्षुब्ध क्षेत्रों में आंकड़ों के संग्रहण की दशा में, पुलिस अर्द्ध सैन्य बलों और सैन्य बलों द्वारा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को ऐसी सहायता प्रदान की जाएगी जो वह आवश्यक समझे ।

11. **सूचना देने का कर्त्तव्यः-** अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

(1) प्रत्येक सूचनादाता को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित अपने आधिपत्य में लेखा पुस्तकों, वाउचरों, दस्तावेजों, अथवा कारोबार से जुड़े अन्य अभिलेख अथवा व्यक्तिगत अभिलेख अथवा दस्तावेजों के मांगे जाने पर सांख्यिकी अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने होंगे जो लिखित रूप में सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा उसके द्वारा उसे फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया हो, तथा यथास्थिति सांख्यिकी अधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे अभिलेख एवं दस्तावेजों के सारांश ले सकेगा; और

(2) प्रत्येक कुटुम्ब का मुखिया आश्रितों सहित परिवार के सदस्यों के नाम और संख्या, अन्य विशिष्टियां, अभिलेख और यथापेक्षित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अथवा प्रस्तुत करवाने के लिए दायी होगाः

परंतु यह कि जहां तक अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों तथा पागलखानों जैसी संस्थाओं के निवासियों का संबंध है, अपेक्षित विवरण, अभिलेख तथा दस्तावेज उपलब्ध करने अथवा करवाने का दायित्व संस्था के प्रमुख का होगा ।

12. आउटसोर्सिंग के लिए सामान्य नियम, शर्तें एवं रक्षोपाय- किसी भी व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा संगम द्वारा अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण हेतु प्रत्येक संविदा अथवा व्यवस्था निम्नलिखित नियम, शर्तों तथा रक्षोपाय के अध्यधीन होगी, अर्थातः-

(क) आउटसोर्सिंग की व्यवस्था औपचारिक तथा व्यापक लिखित अनुबंध के अध्यधीन होगी;

(ख) कार्य जिनका विनिश्चय तथा प्रवर्तन अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा किया जाना है, को आउटसोर्स से नहीं किया जाएगा;

(ग) समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के परिसर अथवा कार्य स्थल की सूचना तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करने अथवा इसका आदेश देने का अधिकार होगा तथा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के मामले में संविदा रद्द करने का अधिकार होगा ;

(घ) सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े प्रत्येक अभिकरण को सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अथवा अभिकरण को वह समस्त सहायता तथा

मदद देनी होगी तथा वैसी सूचना प्रदान करनी होगी जो वह उसके कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, तथा निरीक्षण एवं जांच के लिए आवश्यकतानुसार जो भी अभिलेख, योजना तथा अन्य दस्तावेज अपेक्षित हो, वह उपलब्ध कराएं ;

(ड.) किसी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी संग्रहण के कार्य में नियुक्त व्यक्तियों को अभिकरण की बाध्यता के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, तथा ऐसे व्यक्ति को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को प्रारुप-। में लिखित वचनबंध देगें कि वे अपने नियोजन के कर्तव्य निष्पादन अथवा सिवाए संविदा बाध्यता के व्यक्तिगत सूचना को एक्सेस नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रकटन नहीं करेंगे अथवा उसे अपने पास नहीं रखेंगे; साथ ही,उन्हें अवगत कराया गया है कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों का अनुपालन न करना एक अपराध होगा जिसके लिए वे अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के दायी होंगे ;

(च) सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों से बाध्य होगा, तथा इसका अतिक्रमण होने पर वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा ;

(छ) सूचना के प्रकटन से संबंधित उपबंध और धारा 9,धारा 10, धारा 11, धारा 12,धारा 13 और धारा 14 के अधीन उसके प्रयोग पर निर्बंधन तथा यह नियम संविदा में उपबंधित सांख्यिकी के संग्रहण की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे और यथास्थिति संविदा की समाप्ति या पूरा होने पर भी प्रभावी रहेंगे ।

(ज) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी तुरंत सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित अभिकरण को शिकायत के केवल उन ब्यौरों की संसूचना देगा जो करार भंग का या किसी भावी करार भंग को न्यूनतम करने या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना करने में या इन नियमों की अनुपालना करने में असफलता का निवारण करने के लिए आवश्यक हो ;

(झ) सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित कोई अभिकरण यदि किसी सूचनादाता से कोई शिकायत प्राप्त करता है तो इसकी सूचना तुरंत यथा अपेक्षित समुचित सरकार या संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को देगा ;

( ) खंड (ज) अथवा खंड (झ) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अभिकरण को यथा अपेक्षित निदेश देगा; तथा

(ट) सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरा होने पर सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को सौंपेगा और समुचित सरकार या इस प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

13. व्यक्तिगत सूचना के प्रयोग पर निर्बंधन- सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक अभिकरण युक्तियुक्त उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि-

(क) वैयक्तिक सूचना अप्राधिकृत पहुंच, प्रकटन या अन्य दुरुपयोग से संरक्षित है ;

(ख) अभिकरण वैयक्तिक सूचना का उपयोग विनिर्दिष्ट संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करती है ;

(ग) समान सूचनादाताओं के सेट से पुनरावृर्तिक सांख्यिकी सर्वेक्षणों की दशा में अभिकरण पहले से ही संग्रहित वैयक्तिक सूचना का प्रयोग साक्षात्कार के लिए या अन्यथा सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए करता है ; और

(घ) अभिकरण द्वारा प्रसंस्करण के लिए वैयक्तिक सूचना का प्रयोग पर्याप्त सुरक्षा जांच के साथ करता है ।

14. **सूचनादाताओं के किसी भी परिसर में प्रवेश का अधिकारः-** सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत तथा उसके द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजन के लिए आंकड़ा संग्रहण की अवधि के दौरान अथवा इसके संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण एवं जांच के लिए किसी भी दिन 10.00 बजे से 17.00 बजे के दौरान अथवा दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के अनुसार तय समय पर सूचनादाता के परिसर के उस भाग में जहां सामान्यतः आगंतुक अथवा अतिथि आते-जाते हैं अथवा सूचनादाता द्वारा सुझाये गए स्थान पर प्रवेश का अधिकार होगा ।

15. **शिकायतों का प्रसंस्करण-(1)** किसी **सूचनादाता द्वारा** अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों की दशा में सांख्यिकी अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त अवधि के दौरान हेतुक दर्शित करने के लिए लिखित में सूचना जारी कर सकता है कि अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराध करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अभियोजन लाया जाए ।

(2) सांख्यिकी अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में सूचना प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और स्वयं का समाधान करने वाले कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् सूचना प्रदाता पर अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(3) किसी सूचनादाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अपराधों की दशा में, समुचित सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे लिखित में ऐसे व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी करेगी कि अभिकथित अपराध करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अभियोजन लाया जाए ।

(4) यदि समुचित सरकार उचित समझे तो इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाली सूचना और अभिकथित अपराधी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति, यदि कोई हो, तो, को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेज सकेगी और उस पर उसकी सिफारिशें अभिप्राप्त कर सकेगी तथा अभिकथित अपराधी के स्पष्टीकरण और सांख्यिकी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के बाद निर्णय ले सकेगी ।

16. **डाटा और अभिलेखों का भण्डारण-** अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जिनके माध्यम से कोई सूचनादाता अपनी सूचना में किसी अशुद्ध सूचना में शुद्धि या संशोधनों के लिए प्रज्ञापन को सुकर बना सके । अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहित सांख्यिकी का भण्डारण ऐसी रीति में करना जिससे किसी सूचनादाता से संग्रहित सूचना का प्रकटन सरल हो जाए जिससे यदि

आवश्यक हो तो सूचनादाता को सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सके और सांख्यिकी के संग्रहण में नियोजित और सांख्यिकी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों से अभिप्राप्त वचनबंध और अन्य सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुकर हो जाए ।

प्ररुप -I

[नियम 7 (2), 9 (iii), 12 (ड.) देखें]

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के उपबंधों अधीन सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी क्षमता में नियोजित सांख्यिकी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा वचनबंध

मैं ---------- (पूरा नाम), ----------जिसकी जन्म की तारीख पुत्र/पुत्री/पत्नी---------- (व्यक्ति का नाम) , निवासी- ---------- (पता) सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं /देती हूं कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) (अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन ---------- सांख्यिकी संग्रहण के मामले में समानुदेशित जिम्मेदारी---------- ---------- (कार्य की प्रकृति) को स्वीकार करता/करती हूं तथा मैं किसी सूचनादाता की व्यक्तिगत जानकारी को अपने पास नहीं रखूंगा/रखूंगी और उसका उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी और न ही उसका प्रकटन करूंगा/करूंगी । उसकी व्यक्तिगत सूचनाओं का उपयोग केवल अपने कर्तव्य के निर्वहन और सांख्यिकी के संग्रहण के संबंध में संविदा की शर्तों के अनुसार करूंगा/करूंगी, और यदि मैं अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता पाया जाता/जाती हूं तो मैं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होऊंगा/होऊंगी ।

स्थानः----------

तारीख----------

सांख्यिकी संग्रहण के लिए
किसी क्षमता में नियोजित व्यक्ति
अथवा सांख्यिकी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप -II
(नियम 8 देखें)

सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण
समुचित सरकार द्वारा किया जाना

1. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए निदेशों के ब्यौरे दें

2. निदेश देने वाली समुचित सरकार का नाम और पताः

3. उपर्युक्त निदेशों के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के लिए नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों का ब्यौराः

क्र.सं.	सांख्यिकी अधिकारी का नाम	स्थायी पता	सांख्यिकी संग्रहण में शैक्षिक योग्यताएं, और अनुभव, यदि कोई हो	भौगोलिक इकाई जिसके लिए नियुक्ति और नियुक्ति की अवधि	अधिनियम की धारा 4 (4) और (6) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की समाप्ति की तारीख
(7)	(8)

स्थानः————————————
तारीख————————————

सांख्यिकी अधिकारियों के अभिलेख के
अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मोहर

[फा. सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III]

प्रो. टी. सी. ए. अनंत, सचिव

शुद्धि पत्र

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2011/भाद्र 17, 1933
No. 497] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2011/BHADRA 17, 1933

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 665(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की दिनांक 16 मई, 2011 की सा.का.नि. 387(अ), अधिसूचना संख्या 254, में अधिसूचना के पृष्ठ-9 पर नियम 15 के उप-नियम (4) को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए ।

"(4) यदि समुचित सरकार उचित समझे तो इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाली सूचना और अभिकथित अपराधी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति, यदि कोई हो, तो, को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेज सकेगी और उस पर उसकी सिफारिशें अभिप्राप्त कर सकेगी तथा अभिकथित अपराधी के स्पष्टीकरण और सांख्यिकी अधिकारी की सिफारिश, यदि कोई हो, तो, पर विचार करने के बाद अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति दे सकेगी ।"

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषय सामग्री अपरिवर्तित रहेगी ।

[पृष्ठांकन सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III]

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th September, 2011

G.S.R. 665(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, number 254 dated 16th May, 2011 bearing G.S.R. 387(E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), the sub-rule (4) of rule 15 at page-20 of the notification shall be read as follows.

"(4) The appropriate Government may, if it considers necessary, send a copy of the show-cause notice issued under sub-rule (3) of this rule and the explanation, if any, received from the alleged offender to the concerned statistics officer and obtain his recommendation on it, and after considering the explanation of the alleged offender and recommendation of statistics officer, if any, sanction the institution of prosecution."

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[Endt. No. M-15011/1/2007-Admn. III]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

3391 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1192] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

का.आ.1416(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जून, 2010 के 11वें दिवस को वह तिथि निर्धारित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे ।

[सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III]

अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

S.O. 1416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), the Central Government hereby appoints the 11th of June, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. M-15011/1/2007-Admn. III]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

2284 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है?

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू है । जम्मू और कश्मीर राज्य ने केंद्रीय विधान की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है ।

2. वे संवैधानिक प्रावधान क्या हैं जिनके अंतर्गत अधिनियमन किया गया है?

"सांख्यिकी" विषय को निम्नलिखित प्रविष्टियों में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू) में शामिल किया गया है ।

- संघ सूची की प्रविष्टि 94 (सूची-I) : इस सूची में किसी भी मामले के प्रयोजन हेतु पूछताछ, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45 (सूची-III) : सूची-II अथवा सूची-III में किसी भी मामले के प्रयोजन हेतु पूछताछ तथा सांख्यिकी ।
- राज्य सूची के अंतर्गत विषय को शामिल नहीं किया गया है (सूची-II)

उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियमन किया गया है ।

3. इस अधिनियम के संदर्भ में जारी अधिसूचनाएं कौन सी हैं?

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) संसद द्वारा 7 जनवरी, 2009 को अधिनियमित किया गया था । इसे 9 जनवरी, 2009 को आम सूचना हेतु सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया । इस अधिनियम को एक अन्य अधिसूचना के जरिए 11 जून, 2010 को प्रभाव में लाया गया । इस अधिनयम के नियमों, नामतः, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 को 16 मई, 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है । नियमों से संबंधित शुद्धि पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 2011 को अधिसूचित किया गया ।

4. इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

इस अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकार द्वारा आर्थिक, जनांकिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं पर और इससे जुड़े मामलों अथवा इनसे प्रासंगिक मुद्दों पर सांख्यिकी संग्रहण को सुविधाजनक बनाना है ।

[प्रस्तावना और अधिनियम की धारा 3]

5. "सांख्यिकी" से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार की सांख्यिकी संग्रहीत की जा सकेगी?

"सांख्यिकी" से तात्पर्य न केवल सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, प्रशासनिक तथा पंजीकरण अभिलेखों और अन्य प्रारूपों तथा पत्रों से समुचित सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों से है बल्कि एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई सांख्यिकी से भी है । सांख्यिकी का विश्लेषण प्रकाशित अथवा अप्रकाशित प्रारूपों में हो सकता है ।

आर्थिक, जनांकिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं पर सांख्यिकी एकत्र की जा सकती है लेकिन यह धारा 3 में दिए गए प्रतिबंधों पर निर्भर करेगा ।

[अधिनियम की धारा 2 (ज) और 3]

6. आंकड़ा संग्रहण के विषय का निर्धारण कौन करेगा?

समुचित सरकार जिनसे तात्पर्य है, (i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग; अथवा (ii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कोई मंत्रालय या विभाग; अथवा (iii) कोई स्थानीय सरकार, नामतः कोई पंचायत अथवा नगर पालिका अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंकड़ा संग्रहण के विषय का निर्धारण करेंगे ।

[अधिनियम की धारा 2 (ख) और 3]

7. किसी भी प्रकार की सांख्यिकी का संग्रहण करने के सरकार के निर्णय के बारे में जनता को कैसे पता चलेगा?

अधिनियम में किसी भी प्रकार की सांख्यिकी का संग्रहण करने के सरकारी निर्णय को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, यह मामला मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशित किया जा सकता है ।

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, नामतः

(क) सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन;
(ख) सांख्यिकी संग्रहण का भौगोलिक क्षेत्र;
(ग) आंकड़ा संग्रहण की पद्धति;
(घ) सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जा सकें;
(ड.) अवधि जिसके दौरान आंकड़ा संग्रहण का कार्य पूरा किया जा सके;
(च) संदर्भ अवधि;
(छ) एकत्र की जाने वाली सूचना का स्वरूप;
(झ) सूचनादाता की बाध्यताएं;
(ा) बिजनेस रिकॉर्डों तथा अन्य रिकॉर्डों का स्वरूप जिनका निरीक्षण किया जा सके;
(ट) निरीक्षण का तरीका ।

धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचना की प्रति केन्द्र सरकार के नोडल अधिकारी तथा संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी ।

[अधिनियम की धारा 3 तथा नियमावली का नियम 5 (5) और 5 (6)]

8. क्या आंकड़ा संग्रहण के विषय के चयन के बारे में कोई प्रतिबंध है?

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I (संघ सूची) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी संग्रहण के संदर्भ में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय शासन को कोई निदेश जारी करने का प्राधिकार नहीं है । अन्य सभी मामलों में, जहां केंद्रीय सरकार ने किसी मामले पर सांख्यिकी संग्रहण हेतु कोई निदेश जारी किया है, वहां कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय शासन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई वैसा ही निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण कार्य पूरा नहीं हो जाता है । इसी प्रकार, जहां किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय शासन ने किसी विषय से संबंधित सांख्यिकी संग्रहण के लिए कोई निदेश जारी किया है, वहां केंद्रीय सरकार वैसा ही कोई निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है, सिवाय उन मामलों में जहां ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में किया जाना है ।

धारा 3 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वय को प्रभावी और कारगर बनाने तथा सांख्यिकी संग्रहण में अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए केंद्र सरकार को सिद्धांतों पर नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं।

[अधिनियम की धारा 3 तथा 33(2)(क)]

9. आंकड़ा संग्रहण विषय के चयन के बारे में तथा अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए नियमों में क्या प्रावधान उपलब्ध है?

केंद्र सरकार नोडल विभाग में सांख्यिकीय कार्यों से जुड़े भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित करेगी । प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन नोडल विभाग में सांख्यिकीय कार्यों से जुड़े राज्य सरकार के कम से कम उपसचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित करेगा । नोडल अधिकारी अनावश्यक दोहरीकरण से बचने हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर अपने क्षेत्राधिकार में समुचित सरकार को परामर्श देगा ।

[नियमावली के नियम 3, 4 और 5]

10. नोडल अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य क्या हैं?

केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया नोडल अधिकारीश्

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण एवं अद्यतन करेगा;

(ख) समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्यों के नोडल अधिकारियों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत की गई है या नहीं, को प्राप्त करेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा;

(ग) केंद्रीय सरकार के विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों को प्रशासनिक अभिलेखों की सांख्यिकीय संभावना में सुधार लाने के उपायों पर परामर्श देगा ताकि ऐसे प्रशासनिक अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके;

(घ) केंद्रीय सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मत भिन्नता, यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके; और

(ड.) कार्यकरण पर केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसी प्रकार के कर्त्तव्य निभाएगा और, जैसा अपेक्षित हो, इस अधिनियम के कार्यकरण के बारे में सरकारी विभागों तथा स्थानीय सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त करेगा तथा इस अधिनियम के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्टों को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

[नियमावली का नियम 4]

11. अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के प्रयोजन से सांख्यिकी संग्रहण संबंधी निदेश जारी करने से पूर्व समुचित सरकार द्वारा क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं?

राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा राज्य में कोई स्थानीय सरकार सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अतंर्गत निदेश देने से पहले, राज्य में नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके । इसी प्रकार, केंद्रीय सरकार का कोई विभाग सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके । संबंधित नोडल अधिकारी ऐसे किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर एक माह की अवधि के भीतर संबंधित कार्यालय को यथास्थिति ऐसी सलाह देगा जिससे सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके । समुचित सरकार सलाह प्राप्त होने पर, ऐसी सलाह से असहमति के कारणों सहित सभी मामलों की संसूचना नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले देगी ।

[नियमावली का नियम 5]

12. आंकड़े कौन संग्रहीत करेगा?

समुचित सरकार उसके द्वारा निदेशित किसी विषय पर आंकड़ा संग्रहण के आयोजनार्थ किसी भौगोलिक इकाई में सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है । उपयुक्त सरकार किसी एजेंसी (जिसमें सीधे अथवा आउटसोर्सिंग के जरिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं) अथवा ऐसी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को सांख्यिकी का संग्रहण करने, अथवा उसमें मदद करने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकती है अथवा सरकार जैसा चाहे वैसा निदेश देकर सांख्यिकी संग्रहण हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा सुरक्षा मानकों के आधार पर किसी एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ को अनुबंध आधार पर रख सकती है । एजेंसियों अथवा ऐसी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने; अथवा किसी एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ को अनुबंध आधार पर रखने की शक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा सांख्यिकी अधिकारी को दी जाएगी ।

[अधिनियम की धारा 2 (ए) तथा 4]

13. सांख्यिकी अधिकारी को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में कौन-कौन से विवरण उपलब्ध होने चाहिए ?

सांख्यिकी अधिकारी को नियुक्त करने वाले अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विवरण होने चाहिएः-

(क) सांख्यिकी संग्रहण हेतु प्रत्येक भौगोलिक यूनिट के लिए सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता;

(ख) सांख्यिकी संग्रहण हेतु नियुक्त एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ के ब्यौरे, तथा, इस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त करने तथा आंकड़ों की सुरक्षा के लिए तय किए गए नियम एवं शर्तें;

(ग) फॉर्म तथा मांगे जाने वाले विवरण अथवा वह समय-सीमा जिसके भीतर, तथा वह सांख्यिकी अधिकारी जिसे सूचनादाता द्वारा आंकड़ों की जानकारी दी जानी है; तथा

(घ) सांख्यिकी अधिकारी को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) अथवा (6) के तहत यदि कोई शक्ति दी गई हो तो वह शक्ति ।

[नियमावली का नियम 7]

14. आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाते हैं ?

आंकड़े सांख्यिकीय सर्वेक्षण (गणना अथवा सैंपल सर्वेक्षण) के जरिए एकत्रित किए जा सकते हैं अथवा अन्यथा (i) व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर अथवा (ii) उनके द्वारा भरे जाने के लिए उन्हें फॉर्मेट देकर अथवा (iii) निर्धारित फॉर्मेट में सूचना देने के लिए उन्हें नोटिस जारी करते हुए नोटिस में निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना देने के लिए कहते हुए अथवा (iv) टेली फैक्स के जरिए अथवा टेलीफोन अथवा ई-मेल अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (v) विभिन्न तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है । सांख्यिकी अधिकारी को आंकड़े एकत्रित करने के

तरीके का निर्णय लेने का अधिकार है । सांख्यिकी अधिकारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत आंकड़ा संग्रहकर्ता आंकड़ा संग्रहण हेतु किसी भी उपयुक्त समय पर अहाते में प्रवेश कर सकता है तथा इस कार्य के लिए रिकार्ड/दस्तावेज की जांच भी कर सकता है ।

[अधिनियम की धारा 2 (जी), 3, 5, 8]

15. आंकड़े किससे एकत्रित किए जाते हैं ?

आंकड़े किसी भी सूचनादाता से एकत्रित किए जाएंगे, यह सूचनादाता वैसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सांख्यिकीय सूचना की आपूर्ति करता है अथवा जिसके द्वारा सांख्यिकीय सूचना की आपूर्ति अपेक्षित है, जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत मान्यताप्राप्त अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म अथवा सहकारी समिति अथवा कंपनी अथवा समिति अथवा व्यक्तियों के किसी संघ के संबंध में उसका मालिक अथवा दखलदार अथवा प्रभारी व्यक्ति अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल है ।

[अधिनियम की धारा 2 (सी) तथा 5]

16. सूचनादाताओं से क्या आशा की जाती है ?

सूचनादाता अपनी जानकारी और विश्वास के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रदान करने को बाध्य होंगे । ऐसे मामले हो सकते हैं जहां किसी सैंपलिंग प्रक्रिया के कारण चयनित व्यक्तियों से सूचना मांगी जा सकती है । ऐसे मामलों में चयनित व्यक्ति मांगी गई सूचना न देने के लिए अपना बचाव इस प्रकार नहीं कर सकते कि यह सूचना दूसरों से नहीं मांगी गई है । सूचनादाताओं को सांख्यिकी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत आंकड़ा संग्रहकर्ता को अपने अहाते में प्रवेश करने देना होगा तथा निरीक्षण हेतु अपेक्षित रिकार्ड/दस्तावेज भी देने होंगे ।

मांगे जाने पर प्रत्येक सूचनादाता को अधिनियम के तहत सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े उसके स्वामित्व वाले बही-खाते, वाउचर, दस्तावेज अथवा अन्य व्यापारिक रिकॉर्ड अथवा व्यक्तिगत रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज की प्रति सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत तथा फोटो पहचान-पत्र रखने वाले व्यक्ति को देनी होगी, तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, ऐसे रिकॉर्डों अथवा दस्तावेजों के सार की प्रति ले सकता है ।

प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार के आश्रितों सहित परिवार के सदस्यों के नाम तथा उनकी संख्या के सही ब्यौरे, अन्य विवरण अपेक्षित रिकॉर्ड तथा दस्तावेज देने अथवा दिलवाने के लिए जिम्मेदार होगा । संस्थानों जैसे कि अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, तथा पागलखानों के निवासियों के मामले में अपेक्षित ब्यौरे, रिकॉर्ड तथा दस्तावेज देने अथवा दिलवाने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी ।

[अधिनियम की धारा 6 तथा 8 और नियमावली का नियम 11]

17. आंकड़ा संग्रहकर्ताओं से क्या आशा की जाती है ?

आंकड़ा संग्रहकर्ता सरकारी कर्मचारी अथवा निजी व्यक्ति हो सकते हैं । आंकड़ा संग्रहकर्ता से धारा 4 एवं 5 में दिए गए आंकड़ा संग्रहण के संबंध में उन्हें दी गई ड्यूटी और कार्यों को करने तथा धारा 8 में दी

गई शक्तियों के अनुसार आवश्यक रिकॉर्डों को देखने की उम्मीद की जाती है । उन्हें धारा 9, 13 और 14 के प्रावधान के अनुसार संग्रहीत सूचना को सुरक्षित भी रखना होता है ।

सांख्यिकी संग्रहण के कार्य से जुड़ा व्यक्ति तथा सांख्यिकी अधिकारी फॉर्म-I में वचनबद्धता देगा ।

[अधिनियम की धारा 4, 5, 9, 13 तथा 14 और नियमावली का नियम 7 (2) तथा 9]

18. सूचनादाता के अहाते में प्रवेश करने के अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा ?

सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत तथा फोटो पहचान-पत्र रखने वाला व्यक्ति रिकार्डों, तथा दस्तावेजों के निरीक्षण तथा जांच हेतु अधिनियम के तहत सांख्यिकी संग्रहण के उद्देश्य के लिए सांख्यिकी संग्रहण की अवधि के दौरान किसी भी दिन 10: 00 बजे से 17: 00 बजे के बीच अथवा दोनों पक्षों द्वारा आपसी रूप से सहमत किसी भी वैसे समय में सूचनादाता के अहाते के किसी भी भाग में प्रवेश करने का अधिकार रखता है जब सामान्यतः आगंतुक अथवा अतिथि आते हैं अथवा सूचनादाता द्वारा सुझाए गए समय पर अहाते में प्रवेश कर सकता है ।

[नियमावली का नियम 14]

19. सांख्यिकी अधिकारी तथा आंकड़ा संग्रहण से जुड़ी एजेंसी के बीच क्या संबंध होता है ?

प्रत्येक एजेंसी दूसरी अधिकृत एजेंसी अथवा सांख्यिकी अधिकारी को वैसी मदद तथा सहायता प्रदान करेगी तथा ऐसी सूचना देगी जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, तथा आवश्यकतानुसार ऐसे रिर्कार्डों, योजनाओं तथा दूसरे दस्तावेजों को निरीक्षण तथा जांच हेतु उपलब्ध कराएगी ।

[अधिनियम की धारा 7]

20. उपयुक्त सरकार की शक्तियां तथा कार्य क्या है ?

उपयुक्त सरकार की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैंः-

- सांख्यिकीय सर्वेक्षण अथवा अन्यथा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संबंधी पहलुओं के बारे में आंकड़ा संग्रहण का निदेश देना;
- उपयुक्त सरकार द्वारा निदेश दिए जाने पर आंकड़ा संग्रहण हेतु भौगोलिक यूनिट के लिए सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त करना;
- किसी भौगोलिक यूनिट विशेष के भीतर आंकड़ा संग्रहण करने, उसमें मदद करने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने के लिए ऐसी एजेंसियों में किसी एजेंसी अथवा व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- उपयुक्त सरकार द्वारा निदेश दिए जाने पर आंकड़ों के संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ को अनुबंध आधार पर नियुक्त करना;

- किसी सांख्यिकी अधिकारी को एजेंसी अथवा ऐसी एजेंसियों में काम करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने, अथवा किसी एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करना, जैसा उपयुक्त सरकार उचित समझे;
- फॉर्म, मांगे गए ब्यौरे अथवा निर्धारित समय-सीमा तथा सूचनादाता द्वारा सांख्यिकीय सूचना किस सांख्यिकी अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए, यह निर्दिष्ट करना, अथवा किसी सांख्यिकी अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार देना;
- किए गए अपराधों के मामले में न्यायालयों में शिकायत दर्ज करना; तथा
- सूचनादाताओं के अलावा व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति देना।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन अथवा किसी भी स्थानीय शासन को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के निष्पादन के लिए निदेश दे सकती है ।

केन्द्र सरकार को नियम बनाने का भी अधिकार है ।

[अधिनियम की धारा 3, 4, 23, 24, 27 तथा 32]

21. सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां तथा कार्य क्या है ?

सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैंः-

- आंकड़ा संग्रहण हेतु एजेंसियों अथवा ऐसी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने, अथवा किसी एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा व्यक्तियों के संघ को अनुबंध आधार पर रखने के संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करना;
- फॉर्म, अपेक्षित ब्यौरे अथवा सूचनादाताओं द्वारा सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करना;
- धारा 5 में निर्धारित किसी भी पद्धति में आंकड़ा संग्रहण करना;
- अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किसी एजेंसी से निरीक्षण तथा जांच करवाने के लिए सहायता तथा रिकॉर्ड मांगना;
- किसी सूचनादाता के स्वामित्व वाले प्रासंगिक रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज को देखना तथा इस कार्य के लिए उसके अहाते में किसी उपयुक्त समय प्रवेश करना;
- विभिन्न कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों को अधिकृत करना;
- एकत्रित सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना; तथा
- सूचनादाताओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति देना ।

इसके अलावा, किसी भी भौगोलिक यूनिट में किसी भी विषय पर सांख्यिकी संग्रहण के उद्देश्य हेतु नियुक्त सांख्यिकी अधिकारी -

(i) सांख्यिकी संग्रहण करेगा, उसमें मदद करेगा तथा उसका पर्यवेक्षण करेगा;

(ii) सांख्यिकी संग्रहण हेतु एजेंसियों को नियुक्त करवाएगा अथवा उन्हें रखवाएगा;

(iii) सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े सभी व्यक्तियों की फॉर्म - I में वचनबद्धता लेगा तथा उसे उपयुक्त सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी को भेजेगा;

(iv) प्रासंगिक सूचना अनुसूचियों तथा सांख्यिकी संग्रहण के तरीके अथवा तरीकों को तैयार करेगा अथवा करवाएगा;

(v) अपने अधिकार क्षेत्र में सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों तथा एजेंसियों को सांख्यिकी संग्रहण का कार्य आवंटित करेगा अथवा करवाएगा;

(vi) इस कार्य में शामिल एजेंसियों को वितरित किए जाने वाली समस्त प्रासंगिक सामग्री को उपलब्ध कराएगा तथा आंकड़ों के संग्रहण में सहायता हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएगा;

(vii) उपयुक्त समय पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था कराएगा;

(viii) आंकड़ों के संग्रहण की अवधि के दौरान सभी एजेंसियों के कार्य में समन्वय करेगा तथा आंकड़ों के संग्रहण में सुचारू आयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगा;

(ix) सूचनादाताओं को नोटिस जारी करेगा ताकि वे जहां आवश्यक हो, अपने हस्ताक्षर के साथ जारी सूचना प्रस्तुत करें तथा ऐसे सूचनादाताओं से प्राप्त पावतियों को सेफ कस्टडी में रखवाएगा;

(x) विभिन्न संदर्भ अवधियों सहित सूचनादाताओं के समान सेट वाले सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के मामले में, प्रत्येक सूचनादाता को केवल एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और संदर्भ अवधियां, जिनके लिए सूचना अपेक्षित है, दर्शाई गई हों;

(xi) अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश हेतु लिखित रूप में व्यवस्था करेगा तथा आंकड़ों के संग्रहण के लिए किसी सूचनादाता के किसी परिसर में प्रवेश करने के लिए फोटो पहचान जारी करेगा;

(xii) मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचनादाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि उन्हें ऐसी सहायता की अपेक्षा हो;

(xiii) सूचनादाता से एकत्र सूचना को सुलभ बनाएगा ताकि किसी गलत सूचना के संबंध में सुधारों अथवा संशोधनों के विषय में सूचित करने में सहायता मिल सके;

(xiv) किसी सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करेगा;

(xv) शिकायतों अथवा अन्य किसी बात के आधार पर, गलती करने वाले व्यक्तियों तथा अन्यों के विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा;

(xvi) आंकड़ों के संग्रहण में लगी एजेंसियों से सभी सूचना-संबंधी अनुसूचियां, आंकड़ों के संग्रहण के कार्य में लगे व्यक्तियों से लिए गए सभी वचनपत्र, कार्य की समाप्ति पर सभी संबंधित अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड एवं दस्तावेज प्राप्त करेगा तथा इस प्रभाव का प्रमाणपत्र उपयुक्त सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(xvii) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो आंकड़ों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक हो; तथा

(xviii) आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ।

[अधिनियम की धारा 4, 5, 7, 8, 9, 13 और 24 तथा नियमावली का नियम 9]

22. कोई उपयुक्त सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अधिनियम के तहत आंकड़ों के संग्रहण के लिए अन्य सरकारी कार्यालयों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा कर सकता है ?

उपयुक्त सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय सरकार के किसी विभाग को पत्र लिख सकता है जिसमें अधिनियम के तहत आंकड़ों के संग्रहण हेतु आवश्यक सहायता की प्रकृति को दर्शाया गया हो, तथा पत्र प्राप्त होने पर, उक्त विभाग यथासंभव ढंग से आवश्यकता की पूर्ति करेगा । केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकारों का प्रत्येक विभाग, यथा अपेक्षित समय के भीतर और यथा अपेक्षित स्वरूप में, सूचनादाताओं की सूची और उनके पास उपलब्ध कोई अन्य सूचना जो किसी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के आयोजन हेतु प्रासंगिक है, सांख्यिकी अधिकारी अथवा उपयुक्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी या व्यक्ति को, इस प्रभाव के नोटिस की प्राप्ति पर प्रस्तुत करेगा । अशांत क्षेत्रों में आंकड़ों के संग्रहण के मामले में, पुलिस अर्द्ध सैन्य और सैन्य बल ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जैसी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपेक्षित होगी ।

[नियमावली का नियम 10]

23. संगृहीत सूचना का प्रसारण किस प्रकार किया जाएगा ?

अलग-अलग व्यक्तियों से एकत्र सूचना गोपनीय रखी जाएगी तथा इसे केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा । आंकड़ा-संग्रहणकर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं कर सकेगा । तथापि, वैयक्तिक सूचना संगत प्रावधानों के तहत अभियोजन के उद्देश्यों के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकेगी । यदि वैयक्तिक सूचना को प्रकाशित/प्रकट करने की आवश्यकता है, तो ऐसा, व्यक्ति विशेष के पहचान-संबंधी ब्यौरों को छिपाकर ही किया जाएगा । ऐसा करते हुए, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि वैयक्तिक सूचना, यहां तक कि विलोपन की प्रक्रिया द्वारा भी, किसी व्यक्ति को ज्ञात नहीं हो पाए । किसी भी एजेंसी या व्यक्ति या संस्थानों या विश्वविद्यालयों को केवल प्रामाणिक अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक सूचनाएं तभी प्रदान की जा सकती हैं जबकि जानकारी उपलब्ध करवाने वाले सूचनादाताओं के नाम व पते मिटा कर, यह घोषणा ले ली जाएगी कि वे सूचना का प्रयोग केवल प्रामाणिक अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । तथापि, वैयक्तिक सूचना, जिसने ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लिया हो, जारी की जा सकती है ।

[अधिनियम की धारा 9 से 12]

24. यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि व्यक्तिगत सूचना को गोपनीय और सुरक्षित रखा जाए ?

व्यक्तिगत सूचना का अर्थ है किसी सूचनादाता के विषय में कोई सूचना, सत्य अथवा असत्य तथा भौतिक रूप में रिकार्ड की गई अथवा नहीं की गई, जिससे सूचनादाता की पहचान यथोचित रूप से ज्ञात की जा सकती है । आंकड़ों के संग्रहण में लगी प्रत्येक एजेंसी निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाएगीः-

(क) व्यक्तिगत सूचना को अनाधिकृत प्राप्ति, प्रकटीकरण अथवा अन्य दुरूपयोग के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान की जाए;

(ख) एजेंसी व्यक्तिगत सूचना का प्रयोग केवल विनिर्दिष्ट अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से ही करें;

(ग) सूचनादाताओं के सामान्य समूह वाले आवर्ती सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के मामले में, एजेंसी पहले एकत्रित व्यक्तिगत सूचना का प्रयोग केवल सूचनादाताओं के साथ साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से अथवा किसी अन्य तरीके से उनसे संपर्क करने के लिए करें; तथा

(घ) एजेंसी पर्याप्त सुरक्षा जांच के साथ व्यक्तिगत सूचना का प्रयोग केवल आंकड़ा संसाधन के लिए करें ।

[नियमावली का नियम 13]

25. किसी अदालती सुनवाई में साक्ष्य के रूप में वैयक्तिक सूचना के प्रयोग पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं ?

किसी सूचनादाता के पास उपलब्ध वैयक्तिक सूचना किसी सुनवाई में साक्ष्य के रूप में प्रकट अथवा प्रयुक्त नहीं की जाएगी । किसी भी स्थिति में, किसी व्यक्ति, जिसके पास किन्हीं आंकड़ों के संग्रहण में अपनी शासकीय समिति के कारण इस प्रकार की सूचना उपलब्ध है, पर किसी भी सुनवाई में उक्त सूचना के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने अथवा आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में प्राप्त किसी सूचना के संबंध में कोई अनुसूची, दस्तावेज या रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा ।

[नियमावली का नियम 14]

26. वे कौन से अपराध हैं जिनके लिए किसी सूचनादाता को दण्डित किया जा सकता है तथा इनके लिए क्या-क्या दंड हैं ?

अपराध	दण्ड
1. किसी लेखा पुस्तिका, वाऊचर, दस्तावेज अथवा अन्य बिजनेस रिकार्ड को प्रस्तुत करने में विफल रहना	जुर्माने के साथ दण्डनीय, जिसे एक हजार रुपए की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है अथवा किसी कंपनी के मामले में, जुर्माना जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है [धारा 15 (1)]
2. दी गई अथवा भेजी गई किसी सूचना अनुसूची अथवा विवरणी में अपेक्षित विवरण की अपेक्षा करना अथवा उसे भरने और उसकी आपूर्ति करने से इंकार करना	-वही-

3. पूछे गए किसी प्रश्न अथवा जांच पड़ताल की उपेक्षा करना अथवा उत्तर देने से इंकार करना	-वही-
4. अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहना या विवरण की उपेक्षा करना जारी रखना अथवा विवरण को भरने और उसकी आपूर्ति करने से इंकार करना, या प्रश्न अथवा जांच पड़ताल का उत्तर दोषी ठहराए जाने की तिथि से 14 दिनों की समाप्ति के पश्चात देना	अतिरिक्त जुर्माने के साथ दण्डनीय जिसे एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या, कंपनी के मामले में जुर्माना जो पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है जो विफलता की अवधि के दौरान पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिवस के लिए होगा । **[धारा 15 (2)]**
5. भरी गई या प्रदान की गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में, अथवा पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर में, कोई गलत या दिग्भ्रमित करने वाला विवरण देना या सामग्री का विलोपन करना	ऐसे साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है । अथवा जुर्माना जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या, कंपनी के मामले में जुर्माना जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 16]**
6. ऐसी किसी सूचना अनुसूची, प्रपत्र या अन्य दस्तावेज को नष्ट, विरूपित करना, हटाना अथवा विकृत करना जिसमें एकत्र किए गए ब्यौरे दिए गए हैं या ऐसे किसी ब्यौरे के लिए अनुरोध किया गया है ।	ऐसे साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना जो दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा किसी कंपनी के मामले में, जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 17]**
7. किसी शक्ति का प्रयोग करने या प्रदत्त कर्त्तव्य के निर्वहन में किसी कार्मिक के कार्य में हस्तक्षेप करना, रुकावट डालना या बाधा उपस्थित करना	साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे छह माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या, कंपनी के मामले में जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 18]**
8. किसी प्रावधान अथवा किसी आरोपित अपेक्षा के विरूद्ध कार्य करना या उनके अनुसरण में विफल रहना; अथवा किसी सांख्यिकी अधिकारी या किसी एजेंसी या वहां के किसी कार्मिक को जानबूझकर गुमराह करना या गुमराह करने का प्रयास करना	साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे छह माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या कंपनी के मामले में जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 19]**

9. कोई अन्य अपराध	साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या किसी कंपनी के मामले में जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 22]**

क्रम सं.6 से 9 पर सूचित अपराध सूचना प्रदाताओं से इतर व्यक्तियों पर लागू होते हैं ।

27. वे कौन से अपराध हैं जिनके लिए किसी आंकड़ा-संग्रहकर्ता को दण्डित किया जा सकता है तथा दण्ड क्या है ?

अपराध	दण्ड
बिना किसी विधि सम्मत रियायत के अपने दायित्वों को पूरा न करना, अथवा जानबूझकर कोई गलत घोषणा पत्र, विवरण या विवरणी प्रस्तुत करना; अथवा अपने दायित्वों के निष्पादन का ढोंग करना या प्राप्त करने की मांग करना जिसे प्राप्त करने का अधिकारी वह नहीं है; अथवा संग्रहीत सूचना अनुसूचियों में एकत्र या प्रविष्ट सूचना की गोपनीयता अक्षुण्ण रखने में विफल रहना तथा किसी भरी जा चुकी अनुसूची या किसी सूचना प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किसी सूचना के विषयों को उस तरीके से प्रकट करना जिसकी अनुमति नहीं है ।	साधारण कारावास के साथ दण्डनीय जिसे छह माह तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या, किसी कंपनी के मामले में जुर्माना जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है । **[धारा 20]**

28. वे कौन-से अपराध हैं जिसके लिए किसी व्यक्ति (डाटा संग्रहकर्त्ता अथवा सूचनादाता नहीं हो सकते) को सजा दी जा सकती है और उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है ?

अपराध	दण्ड
1. किसी सूचना अनुसूची, फार्म अथवा अन्य किसी दस्तावेज जिसमें संग्रहीत विवरण मौजूद हों अथवा इस प्रकार के विवरणों के लिए आवेदन की सूचना को नष्ट करना, छेड़-छाड़ करना, हटाना तथा उसे विकृत करना ।	इसके लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसे छः माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी दिया जा सकता है अथवा, किसी कंपनी के मामले में दस हजार रुपए तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 17]**

2. किसी कर्मचारी को दी गई शक्तियों अथवा कर्त्तव्यों का प्रयोग करने अथवा उसको ड्यूटी निभाने में बाधा उत्पन्न करना, हस्तक्षेप करना अथवा उसको रोकना ।	इसके लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसे छः माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी दिया जा सकता है अथवा, किसी कंपनी के मामले में दस हजार रुपए तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 18]**
3. किसी प्रावधान अथवा किसी आरोपित की गई अपेक्षा का उल्लंघन करना अथवा उसको पूरा करने में विफल रहना; अथवा वहां पर उपस्थित किसी सांख्यिकी अधिकारी अथवा किसी एजेंसी अथवा किसी कर्मचारी को जानबूझकर धोखा देना अथवा धोखा देने का प्रयास करना ।	इसके लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसे छः माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी दिया जा सकता है अथवा, किसी कंपनी के मामले में दस हजार रुपए तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 19]**
4. मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत सांख्यिकी के संग्रहण के लिए जिसको प्राधिकृत नहीं किया गया है, वह शब्दों, व्यवहार और आचरण से ऐसा करने का दिखावा करता है, जिसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ।	इसके लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसे छः माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी दिया जा सकता है अथवा, किसी कंपनी के मामले में दस हजार रुपए तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 21]**
5. अन्य कोई अपराध	इसके लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसे छः माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी दिया जा सकता है अथवा, किसी कंपनी के मामले में दस हजार रुपए तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है अथवा दोनों **[धारा 22]**

29. अपराधों की सुनवाई कौन करेगा और कैसे ?

कोई भी अदालत जो महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से नीचे के स्तर की न हो, किसी अपराध के लिए सुनवाई केवल उपयुक्त सरकार अथवा एक प्राधिकृत अधिकारी अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर करेगी अथवा जो भी मामला हो ।

किसी भी सूचनादाता द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई भी अभियोजन सांख्यिकी अधिकारी की स्वीकृति के बिना दायर नहीं किया जाएगा और सूचनादाता के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में उपयुक्त सरकार की सहमति के साथ यह दायर किया जा सकता है ।

अधिनियम में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कोई मुकदमा अथवा कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार सिविल अदालत के पास नहीं है ।

[अधिनियम की धारा 23,24 और 29]

30. अभियोजन चलाने की स्वीकृति लेने के पहले क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूचनादाता द्वारा किए गए कथित अपराधों के मामलों में, कोई सांख्यिकी अधिकारी, जांच-पड़ताल करने के बाद जिसे वह उचित समझता हो, सूचनादाता को यथोचित अवधि में लिखित में एक कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अधिनियम के अंतर्गत उसे कथित अपराध के लिए अभियोजन की स्वीकृति क्यों न दी जाए । सांख्यिकी अधिकारी उस स्पष्टीकरण पर विचार करेगा, जो कि उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में सूचनादाता द्वारा दिया गया हो, और उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होने पर लिखित में रिकार्ड रखने के उद्देश्य से, सूचनादाता के अभियोजन को दायर करने के लिए स्वीकृति देगा ।

सूचनादाता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराधों के मामले में, उपयुक्त सरकार, उचित जांच-पड़ताल करने के बाद, लिखित में एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है जिसमें उस उचित समयावधि में यह स्पष्ट करना दर्शाया गया हो कि अधिनियम के अंतर्गत उसे कथित अपराध के लिए अभियोजन चलाने की स्वीकृति क्यों न दी जाए । उपयुक्त सरकार, यदि आवश्यक समझे तो जारी किए गए कारण बताओं नोटिस और स्पष्टीकरण, यदि कोई कथित अपराधी से प्राप्त हुआ हो की प्रति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेज सकती है और उस पर उनकी सिफारिश प्राप्त कर सकती है । कथित अपराधी के स्पष्टीकरण और सांख्यिकी अधिकारी की सिफारिश, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अभियोजन शुरू करने की स्वीकृति दे ।

[नियमावली का नियम 15]

31. अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अदालतों की क्या-क्या शक्तियां हैं ?

कोई भी अदालत जो प्रथम श्रेणी के महानगर मजिस्ट्रेट अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के स्तर की न हों, वह की गई शिकायत पर किए गए अपराध को अपने संज्ञान में ले सकती हैं ।

सभी अपराधों की सुनवाई संक्षिप्त तरीके से हों । तथापि, अदालत को यदि यह महसूस होता है कि किसी मामले की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसकी सुनवाई संक्षिप्त रूप में कर पाना असंभव है, तो वह मामले की सुनवाई को साधारण तरीके से कर सकता है ।

[नियमावली अधिनियम की धारा 23 और 25]

32. "कोर सांख्यिकी" क्या है ? "कोर सांख्यिकी" के लिए अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान बनाए गए हैं ?

केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण को "कोर सांख्यिकी" घोषित करती है । सरकार यदि आवश्यक समझे, तो घोषित किए गए विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण और उसके प्रसारण के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर सकती है ।

[अधिनियम की धारा 26]

33. अधिनियम में शामिल कुछ प्रावधान अन्य किसी संविधियों में भी पाए जा सकते हैं ? उसके क्या प्रभाव होंगे ?

जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यदि कोई निदेश दिए गए हों तो उसके अनुसार जनगणना करने के मामले को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे, भले ही ये वर्तमान समय में लागू किसी भी दूसरे कानून में शामिल प्रावधानों के समनरूप हों ।

[अधिनियम की धारा 31]

34. कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह अधिनियम नागरिकों को सूचना उपलब्ध करने के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम, को निरस्त करता है ?

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सरकार द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जबकि यह सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अनुसार सूचनाप्रदाता से सूचना उपलब्ध करेगा । जहां तक सांविधिक रूप से एकत्रित सूचना को उपलब्ध कराने का संबंध है, अधिनियम की धारा 32 को ध्यान में रखते हुए, विशेषतः उन मामलों में जहां इस अधिनियम और सूचना के अधिकार अधिनियम के बीच में विसंगति पैदा करता है , यह सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के द्वारा अधिशासित होगा । इसका यह कारण है कि, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 एक विशेष कानून होने के नाते, सामान्य कानून नामतः सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना करता है । तथापि, सूचनाप्रदाताओं की पहचान प्रकट करने के मामले को छोड़कर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों और सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों में एकरूपता है । यह प्रतिबंध सूचनाप्रदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा एकत्रित की गई सूचना सांख्यिकी के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं ली जाएगी ।

35. कृपया स्पष्ट करें कि क्या अधिनियम के अंतर्गत अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन दण्डनीय होंगे, यदि ऐसे अपराध आईपीसी में पाए जाते हैं ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन कुछ अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में भी पाए जाते हैं । सूचना देने के लिए इंकार करना अथवा उसकी उपेक्षा करना, गलत सूचना देना अथवा आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध करना, अथवा अधूरी सामग्री देना अथवा क्षतिग्रस्त और कटे-फटे दस्तावेज उपलब्ध करना, कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होना, तथा कर्मचारी का छद्म रूप इसके उदाहरण हैं । सांख्यिकी के संग्रहण संबंधी किसी भी अपराध के लिए केवल एक कानून ही लागू होगा, क्योंकि कानून के अंतर्गत दोहरा दंड अनुमत्य नहीं है । आईपीसी अपराध और दंड के लिए एक सामान्य कानून है । सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 सांख्यिकी के संग्रहण पर एक विशेष कानून होने के नाते आईपीसी के प्रावधानों को निरस्त करेगा ।

36. अधिनियम में उपलब्ध अधीनस्थ विधान की क्या प्रकृति है ?

केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा सरकारी गजेट में, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है । नियम इनके संबंध में बनाए जा सकते हैंः-

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सांख्यिकी अधिकारियों के नामांकन और पंजीकरण तथा सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक दोहरीकरण को टालने एवं धारा 3 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथासंभव कारगर तालमेल के सिद्धांत;

(ख) वे निबंधन, शर्तें अथवा सुरक्षा-उपाय जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा संघ, धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सांख्यिकी के संग्रहण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा लगाया जा सकता है;

(ग) सूचना को किस रूप और तरीके में प्रस्तुत करना है, उसको निर्धारित करने के सिद्धांत;

(घ) उस तरीके के निर्धारण हेतु सिद्धांत जिसमें दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार और धारा 8 द्वारा प्रदत्त प्रविष्टि के अधिकार का उपयोग किया जाएगा तथा

(ड.) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है अथवा निर्धारित किया जा सकता है ।

[अधिनियम की धारा 32 (1)एवं (2)]

37. सूचना अनुसूचियों के निर्धारण के सिद्धांत क्या हैं ?

समुचित सरकार सूचना अनुसूची का निर्धारण कर सकती है । वह यह अधिकार किसी सांख्यिकी अधिकारी को भी सौंप सकती है ।

किसी भी विषय के बारे में सांख्यिकी संग्रहण के लिए कोई सूचना अनुसूची निर्धारित करने के संबंध में, समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि -

(i) उसे अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के अधीन दिए गए निबंधनों के अधीन रहते हुए उस विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण का निदेश देने का प्राधिकार है;

(ii) उसने सूचना संग्रहीत की जाने वाली मदों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ, अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श किया है;

(iii) निदेश देकर सूचनादाता पर अत्यधिक मांग नहीं डाली जाएगी और जहां आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए सूचना अनुसूची की क्षेत्र जांच कर ली गई हो;

(iv) किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट सूचना अनुसूचियों में रेंज और ब्यौरे अत्यंतिक अपेक्षा तक सीमित रखे जाएंगे;

(v) जहां तक संभव हो रिपोर्ट देने का दायित्व समुचित नमूनों के माध्यम से सूचनादाताओं पर डाला जाएगा;

(vi) कारोबार से संबंधित मांगी गई सूचना, उनके खातों से सहज ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा उनके संग्रहण को सुगम बनाने के लिए यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक साधन उपयोग किए जाने चाहिए।

(vii) जब किसी सूचनादाता के पास यथार्थ ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तो मांगी गई सूचना की किसी भी मद पर बेहतर आकलनों एवं अनुमानों को स्वीकार किया जाएगा;

(viii) किसी सूचनादाता से सांख्यिकी संग्रहण के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सूचना अनुसूची में, आवश्यकतानुसार उन विशिष्टियों के लिए प्रावधान होता है जिन पर सूचना सूचनादाता के विवेक पर प्रस्तुत की जा सकती है;

(ix) विशिष्टियां भरने तथा सांख्यिकी के संग्रहण में लगे संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में प्रावधान किया गया है ।

(x) अधिनियम के अंतर्गत उनके सांख्यिकी का संग्रहण करने से पहले सूचनादाता को सामान्य सूचना के लिए, उनसे एकत्र की गई किसी सूचना को प्रकट करने की अपनी योजना, यदि कोई है, को प्रत्येक सूचना अनुसूची में सूचित कर जो समुचित सरकार की राय में किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में अथवा उनको आबंटित किसी वर्गीकरण, यदि कोई है, तथा संलग्न लोगों की संख्या, दोनों के साथ सूचनादाता के नामों और पतों की तालिका अथवा सूची के रूप में उपलब्ध है ।

(xi) प्रत्येक सूचनादाता से, जो खंड (X) के अधीन आने वाली सूचना से भिन्न सूचना को प्रकटन करने का प्रस्ताव करता है, की लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में उपबंध करना ।

[अधिनियम की धारा 4(5) तथा 4 (6) तथा नियमावली का नियम 6]

38. सांख्यिकी संग्रहण की आउटसोर्सिंग के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले नियम व शर्तें तथा अन्य सुरक्षा उपाय क्या हैं?

किसी भी व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा कंपनी संगठन अथवा संगम द्वारा अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण हेतु प्रत्येक संविदा अथवा व्यवस्था निम्नलिखित नियम, शर्तों तथा सुरक्षा उपायों के अध्यधीन होगी, अर्थातः-

(क) आउटसोर्सिंग की व्यवस्था औपचारिक तथा व्यापक लिखित अनुबंध के अध्यधीन होगी;

(ख) अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा निर्धारित तथा प्रवर्तित किये जाने वाले कार्यों को आउटसोर्स नहीं करवाया जाएगा;

(ग) समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के परिसर अथवा कार्य स्थल की सूचना तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करने अथवा इसका आदेश देने का अधिकार होगा तथा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के मामले में संविदा रद्द करने का अधिकार होगा;

(घ) सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े प्रत्येक अभिकरण को सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अपने अभिकरण को वह समस्त सहायता तथा मदद उपलब्ध करवाऐंगे तथा ऐसी सभी सूचनाएं प्रदान करेंगे जो उनके कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, तथा निरीक्षण एवं जांच के लिए आवश्यकतानुसार जो भी अभिलेख, योजना तथा अन्य दस्तावेज अपेक्षित हों, वह उपलब्ध कराऐंगे;

(ड.) किसी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी संग्रहण के कार्य में नियुक्त व्यक्तियों को अभिकरण की बाध्यता के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, तथा ऐसे व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को प्रारूप-I में लिखित वचन देगें कि वे अपने नियोजन के कर्तव्य निष्पादन अथवा संविदा बाध्यता के सिवाए व्यक्तिगत सूचना को एक्सेस नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रकटन नहीं करेंगे अथवा उसे अपने पास नहीं रखेंगे; साथ ही, उन्हें अवगत कराया जाए कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों का अनुपालन न करना एक अपराध होगा जिसके लिए वे अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के दायी होंगे;

(च) सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों से बाध्य होगा, तथा इसका अतिक्रमण होने पर वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा;

(छ) सूचना के प्रकटन से संबंधित उपबंध और धारा 9, 10, 11, 12, 13, और धारा 14 के अधीन उसके प्रयोग पर निर्बंधन तथा यह नियम संविदा में उपबंधित सांख्यिकी के संग्रहण की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे और यथास्थिति संविदा की समाप्ति या पूरा होने पर भी प्रभावी रहेंगे ।

(ज) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी तुरंत सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित अभिकरण को शिकायत के केवल उन ब्यौरों की संसूचना देगा जो किसी करार भंग को न्यूनतम करने या किसी भावी करार भंग को रोकने या अधिनियम तथा इन नियमों के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना करने में असफलता का निवारण करने के लिए आवश्यक हो;

(झ) सांख्यिकी संग्रहण में नियोजन कोई अभिकरण यदि किसी सूचनादाता से कोई शिकायत प्राप्त करता है तो इसकी सूचना तुरंत यथा अपेक्षित समुचित सरकार या संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को देगा;

(ञ) खंड (ज) अथवा खंड (झ) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अभिकरण को यथा अपेक्षित निदेश देगा; तथा

(ट) सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरा होने पर सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को सौंपेगा और समुचित सरकार या इस प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

[नियमावली का नियम 12]

39. प्रलेखन के लिए किन उपायों की व्यवस्था की गई है?

सांख्यिकी अधिकारी या सांख्यिकी संग्रहण के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण इस अधिनियम के अनुसरण में एकत्र की गई कोई सांख्यिकी सूचना व्यष्टिक विवरणियों, सूचना अनुसूचियों, कार्य पत्रकों या किसी अन्य गोपनीय स्रोत से कार्डों, टेपों, डिस्क, फिल्मों या किसी अन्य प्रणाली से चाहे उनका कोड भाषा या साधारण भाषा प्रतीकों में प्रसंस्करण, भंडारण या विशिष्टियों के पुनरूत्पादन के लिए प्रति बनाते समय या अभिलेखन करते समय ऐसे उपाय किए जाएंगे या ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों कि अधिनियम के सुरक्षा उपबधों का अनुपालन किया जा रहा है ।

अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जिनके द्वारा कोई सूचनादाता अपनी सूचना में किसी अशुद्ध सूचना में शुद्धि या संशोधनों को सुकर बना सके । अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहीत सांख्यिकी का भंडारण ऐसे करना जिससे किसी सूचनादाता से संग्रहीत सूचना का प्रकटन सरल हो जाए जिससे यदि आवश्यक हो तो सूचनादाता को सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सके और सांख्यिकी के संग्रहण में नियोजित और सांख्यिकी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों से अभिप्राप्त वचनबंध और अन्य सामग्री सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुकर हो जाए ।

[अधिनियम की धारा 13 तथा नियमावली का नियम 16]

40. संसद को समय-समय पर बनाए गए नियमों के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा?

केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन इस पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाए तो तत्पश्चात नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो । तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन अथवा निष्प्रभावीकरण उस नियम के अधीन की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

[अधिनियम की धारा 32(3)]

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 को 4 अगस्त, 2011 को लोक सभा के समक्ष तथा 5 अगस्त, 2011 को राज्य सभा के समक्ष रखा गया ।

41. सांख्यिकी संग्रहण, 1953 के अंतर्गत शुरू किए गए अथवा शुरू किए जाने वाले संभावित अभियोजनों, यदि कोई हो, का क्या होगा?

इस अधिनियम ने सांख्यिकी संग्रहण, 1953 को निरस्त किया । तथापि, सांख्यिकी संग्रहण, 1953 के अंतर्गत संचालित सांख्यिकी संग्रहण के संबंध में शुरू किए गए अथवा शुरू किए जाने वाले संभावित अभियोजनों, यदि कोई हो, को इस अधिनमयम के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

42. अनेक सरकारी विभाग गैर सांविधित आधार पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण चलाते रहे हैं । क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अपने सर्वेक्षणों को चलाने के लिए उनके द्वारा यह आवश्यक है तथा यदि ऐसा है तो इसके क्या लाभ हैं?

यह सत्य है कि सरकारी संगठन में अनेक आंकड़ा संग्रहण कार्यक्रम गैर-सांविधिक आधार पर चलाए जाते हैं जिनमें सूचनादाता से उत्तर स्वैच्छिक रहे हैं । ऐसी कवायदों की हानियाँ हैं-

(क) कुछ सूचनादाता सूचना देने से मना कर सकते हैं अथवा गलत सूचना देते हैं अथवा आंशिक/हल्के/विलम्ब से उत्तर देते हैं । ऐसी स्थिति में, आंकड़ा संग्रहण तंत्र कमजोर होगा तथा संबंधित

सरकारी विभाग जो भी आंकड़े एकत्र किए गए हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देते हुए इससे संतुष्ट होगा ।

(ख) यद्यपि सूचनादाता वास्तविक सूचना प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक होगा फिर भी संदेह रहेगा कि ऐसी सूचना या तो कराधान अथवा अन्य प्रयोजन के लिए उक्त सूचना को प्रस्तुत करने के विरूद्ध उनके मन में यह प्रभाव डाल सकती है कि यह उनके विरूद्ध संबोधित सरकारी विभाग द्वारा उपयोग की जा सकती है ।

(ग) आंकड़ा संग्रहण संगठन पर कोई विधिक प्रतिबंध न होने से कि सूचनादाताओं से संग्रहीत व्यक्तिगत तथा संवेदनशील सूचना इस ढंग में प्रकट नहीं की जाएगी कि वह उसकी पहचान स्पष्ट करे, अन्यथा कुछ सूचनादाता सूचना प्रस्तुत करने से मना कर सकते हैं ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 उपर्युक्त सभी समस्याओं का समाधान करता है, अतएव इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे अपने सांख्यिकीय सर्वेक्षण आदि का आयोजन करें ।

43. प्रशासनिक सांख्यकी की सांख्यिकी संबंधी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?

सरकार में प्रशासनिक उप-उत्पाद के रूप में सृजित आंकड़े प्रशासनिक सांख्यिकी कहलाते हैं । नोडल अधिकारी इस मामले में सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करेंगे । उदाहरण के लिए, यदि विभाग की कुछ ऐसी रिटर्न हैं, जिनमें कारोबारी उद्यमों के नाम, पते तथा उनके संबंध में कुछ सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, तो नोडल अधिकारी संबंधित विभाग से अनुरोध करेगा कि वह इन उद्यमों के पतों सहित एक अद्यतन सूची बनाकर रखे और साथ ही आंकड़ा संकलन के अपेक्षित स्तर पर इन उद्यमों से संबंधित सांख्यिकीय सूचना भी रखे । अन्य विभाग नियोजन और नीति निर्माण के लिए इस समेकित सूचना का उपयोग कर सकते हैं । विभाग उद्यमों से कोई अन्य सूचना जुटाने के लिए उद्यमों की इस सूची का उपयोग कर सकते हैं ।

44. किस तरीके से अनावश्यक पुनावृत्ति से बचा जा सकता है?

यदि सरकारी विभाग प्रशासनिक सांख्यिकी तथा उनके द्वारा प्राप्त अन्य सांख्यिकीय सूचना अद्यतन रखते हैं तथा अन्य विभागों के साथ उसे बांटते हैं तो प्रणाली में सूचना की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता के बारे में स्पष्टता होगी । यह जानकारी अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए अनिवार्य है ।

प्रकाशन से संबद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी

अपर महानिदेशक

श्री ए.के.भाटिया

उप महानिदेशक

श्री एम.वी.एस. रंगनाधम

श्री नंद लाल

निदेशक

श्री दीपक गोयल

सहायक निदेशक (राजभाषा)

श्रीमती आस्था जैन

श्री राजेन्द्र पंत (वरि.हिन्दी अनु.)

सहायक निदेशक (संगणक केन्द्र)

श्री एस.के.सक्सेना

सहायक निदेशक (ग्राफिक्स)

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सीनियर आर्टिस्ट

श्री जैनी प्रकाश

जूनियर आर्टिस्ट

श्री राधाकृष्ण राव

समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष:011-23361080, 23361685, टेलीफैक्स: 011-23747128

ई-मेल: adg.cap-mospi@nic.in वेबसाइट: http://mospi.gov.in